Room Air Conditioners

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Room Air Conditioner (1) Unitary Type & 1:1 high wall split type (2) Ceiling Mounted & Floor Standing	14(b)	S.O. 2527 (E) dated 08th August 2017	IS1391:1992 (Part I & II)
	14(a)	S.O. 2528(E) dated 8th August 2017	
	14(d)	No. BEE/S&L/AC/37/2017-18 dated 29th November 2017	

IndiaCode

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2223] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939
No. 2223] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

का.आ. 2527(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से विनिर्दिष्ट करती है कि -

(क) घर में इस्तेमाल करने के लिए 9000 कि.केल/घंटा तक की रेटेड कूलिंग क्षमता वाले वाष्प संपीड़न प्रकार के कंडेंसर एक्जॉस्ट डक्ट वाले रूम एयर कंडीशनरों पर, पोर्टेबल इकाइयों को छोड़कर, लेबल पर विवरण प्रदर्शित किया जाएगा; तथा

(ख) निर्देश दिया जाता है कि बिक्री के लिए विनिर्मित या बिक्री किए या खरीदे जा रहे उपकरण या उपकरण के वर्ग के लेबल पर विवरण उस प्रकार प्रदर्शित किए जाएंगे, जिस प्रकार ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (रूम एयर कंडीशनरों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन के विवरण और तरीका) विनियम, 2017 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[फा. सं. 13/16/2015-ई.सी.]
राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2017

S.O. 2527(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies that,-

(a) the room air conditioners of vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 9000 kCal/hour, excluding portable units having condenser exhaust duct, shall display particulars on label; and

(b) directs that any appliance or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display the particulars on labels;

in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulation, 2017

[F. No. 13/16/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

का.आ. 2528(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के का.आ. 181(अ), तारीख 12 जनवरी 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है; जो 1 जनवरी 2018 से प्रभावी 9000 किलो कैलोरी / घण्टा की रेटिड कूलिंग क्षमता तक घरेलू उपयोग के लिए वाष्प संपीड़न प्रकार के स्टार लेबल द्वारा रूम एयर कंडीशनरों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानकों के लिए हैं अर्थात् :-

(1) वाष्प संपीड़न प्रकार के रूम एयर कंडीशनर, जो एकल एयर कंडीशनर और स्प्लिट एयर कंडीशनर भारत में विनिर्मित, वाणिज्यिक तौर पर खरीदे या बेचे जाने वाले 10,465 वॉट (9000 किलोकैलोरी / घण्टा) की रेटेड कूलिंग क्षमता तक होते हैं, इनमें -

(क) एकल एयर कंडीशनर के लिए आईएस 1391 (भाग 1) और स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिए आईएस 1391 (भाग 2) में अधिकतम प्रचालन परिस्थिति परीक्षण की जरूरतों का पालन करते हैं।

(ख) आईएस / आईएसओ 9000 या इसके बाद के संस्करण के साथ प्रमाणित होना चाहिए।

(2) रूम एयर कंडीशनर पर लगाए गए लेबल में एक स्टार के अंतराल से अधिकतम 5 स्टार का प्रदर्शन किया जाएगा और रूम एयर कंडीशनर को स्टार 1 से स्टार 5 के बीच इनकी सापेक्ष ऊर्जा दक्षताओं के आधार पर रेट किया जाएगा।

2. परिभाषाएं – इस अधिसूचना में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "कूलिंग मौसमी ऊर्जा खपत" का अर्थ है उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की कुल वार्षिक मात्रा जब इसे सक्रिय मोड में कूलिंग के लिए चलाया जाता है;

(ख) "कूलिंग मौसमी कुल भार" का अर्थ है ताप की कुल वार्षिक मात्रा जो उपकरण को सक्रिय मोड में कूलिंग के लिए चलाने हेतु अंदरुनी हवा से निकाली जाती है

(ग) "ऊर्जा दक्षता अनुपात" का अर्थ है नाममात्र वोल्टेज और आवृत्ति पर बिजली की खपत के लिए क्षमता का अनुपात (वाट्स में)

(घ) "निश्चित क्षमता एयर कंडीशनर" का अर्थ है रूम एयर कंडीशनर का प्रकार, जिसमें इसकी क्षमता बदलने की संभावना नहीं है

(ङ) "भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात" का अर्थ है ताप की कुल वार्षिक मात्रा का अनुपात जो उपकरण द्वारा सक्रिय मोड में कूलिंग के लिए चलाते समय अंदरुनी हवा को निकालने के साथ उसी अवधि के दौरान उपकरण द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की कुल मात्रा के बीच होता है

(च) "बहु चरण क्षमता एयर कंडीशनर" का अर्थ है रूम एयर कंडीशनर का प्रकार, जहां क्षमता तीन या चार चरण द्वारा परिवर्तित होती है;

(छ) "स्प्लिट एयर कंडीशनर" - स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिए यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि -

(i) यदि इसमें अंदरुनी यूनिट और बाहरी यूनिट होती है तो अंदरुनी यूनिट को फर्श या दीवार या छत पर लगाया जाए (ii) कम्प्रेसर की अंदरुनी और बाहरी यूनिट में हीट एक्सचेंजर और एयर हैंडलिंग प्रणाली को एक कैबिनेट में लगाया जाता है; (iii) इसे प्राथमिक रूप से बंद स्थान, कमरे या हिस्से को (कंडीशन युक्त स्थान) कंडीशन की गई हवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है; (iv) इसमें रेफ्रिजरेशन कूलिंग और डीह्यूमेडिफिकेशन के प्राथमिक स्रोत होते हैं और यह मुख्य रूप से हवा के परिचालन और छानने के लिए होती है।

(ज) "दो चरण वाले क्षमता एयर कंडीशनर" का अर्थ है रूम एयर कंडीशनर का ऐसा प्रकार जहां क्षमता दो चरणों से अलग अलग होती है;

(झ) "एकल एयर कंडीशनर" – एकल प्रकार के एयर कंडीशनर के लिए, यह अवश्य नोट किया जाए कि -

(i) एक केस युक्त असेम्बली को एक खिड़की पर लगाने या दीवार के बीच से निकालने अथवा एक कंसोल के रूप में लगाने के लिए अपने आप में बंद प्राथमिक तौर पर एक यूनिट के रूप में बनाया जाता है; (ii) इसमें एक कैबिनेट के अंदर कम्प्रेसर, हीट एक्सचेंजर और एयर हैंडलिंग सिस्टम लगाए जाते हैं; (iii) इसे प्राथमिक तौर पर एक बंद स्थान, कमरे या हिस्से (कंडीशन किए गए स्थान) में कंडीशन की गई हवा उन्मुक्त रूप से प्रदान करने के लिए बनाया गया है; (iv) इसमें कूलिंग और डीह्यूमिफिकेशन के लिए रेफ्रिजरेशन का प्राथमिक स्रोत शामिल है और इसमें हवा के प्रचालन तथा फिल्टरिंग के साधन है; (v) हवा एक्जॉस्ट करने और ताजी हवा की हीटिंग, ह्यूमिडिफाइंग या इंडक्टिंग के लिए भी इसमें साधन शामिल किए जाएंगे;

(ञ) "परिवर्तनशील क्षमता एयर कंडीशनर" का अर्थ है रूम एयर कंडीशनर का एक प्रकार जहां निरंतर परिवर्तनीशल क्षमता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच या अधिक चरणों में क्षमता परिवर्तित की जाती है।

3. स्टार रेटिंग या स्टार स्तर योजना : (1) रूम एयर कंडीशनर के स्टार स्तर या स्टार रेटिंग का निर्धारण ऊर्जा दक्षता अनुपात या भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात द्वारा किया जाएगा, जिसे सारणी 3.1 सारणी या 3.2 से विनिर्माण या वाणिज्यिक खरीद या बिक्री के वर्ष पर निर्भर करते हुए लिया जाएगा, इनमें से जो भी लागू होता है।

सारणी 3.1

एकल प्रकार एयर कंडीशनर

क्र. सं.	निर्मित या व्यावसायिक रूप से खरीदा या बेचा गया उत्पाद	उपयोग की जाने वाली सं.
1.	12 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक	(क)
2.	1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक	(ख)
3.	1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक	(ग)
4.	1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक	(घ)
5.	1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक	(ड.)

सारणी 3.2

स्प्लिट प्रकार एयर कंडीशनर

क्र. सं.	निर्मित या व्यावसायिक रूप से खरीदा या बेचा गया उत्पाद	उपयोग की जाने वाली सं.
1.	12 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक	(क)
2.	1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक	(ख)
3.	1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक	(ग)
4.	1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक	(घ)
5.	1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक	(ड़)

सारणी 3.1

एकल प्रकार एयर कंडीशनर

सारणी 3.1(क)

(12 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.3	2.49
2 स्टार	2.5	2.69
3 स्टार	2.7	2.89
4 स्टार	2.9	3.09
5 स्टार	3.1	

सारणी 3.1(ख)

(1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.3	2.49
2 स्टार	2.5	2.69
3 स्टार	2.7	2.89
4 स्टार	2.9	3.09
5 स्टार	3.1	

सारणी 3.1(ग)

(1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.5	2.69
2 स्टार	2.7	2.89
3 स्टार	2.9	3.09
4 स्टार	3.1	3.29
5 स्टार	3.3	

सारणी 3.2

स्प्लिट प्रकार एयर कंडीशनर

सारणी 3.2(क)

(12 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2011 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.3	2.49
2 स्टार	2.5	2.69
3 स्टार	2.7	2.89
4 स्टार	2.9	3.09
5 स्टार	3.1	

सारणी 3.2(ख)

(1 जनवरी, 2012 से 31 दिसम्बर, 2013 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.5	2.69
2 स्टार	2.7	2.89
3 स्टार	2.9	3.09
4 स्टार	3.1	3.29
5 स्टार	3.3	

सारणी 3.2(ग)

(1 जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2015 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.7	2.89
2 स्टार	2.9	3.09
3 स्टार	3.1	3.29
4 स्टार	3.3	3.49
5 स्टार	3.5	

IndiaCode

सारणी 3.1(घ)

(1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.5	2.69
2 स्टार	2.7	2.89
3 स्टार	2.9	3.09
4 स्टार	3.1	3.29
5 स्टार	3.3	

सारणी 3.2 (घ)

(1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2017 तक)

ऊर्जा दक्षता अनुपात (वॉट / वॉट)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.7	2.89
2 स्टार	2.9	3.09
3 स्टार	3.1	3.29
4 स्टार	3.3	3.49
5 स्टार	3.5	

सारणी 3.1(ड.)

(1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक)

भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (किलोवॉट घण्टा / किलोवॉट घण्टा)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	2.5	2.69
2 स्टार	2.7	2.89
3 स्टार	2.9	3.09
4 स्टार	3.1	3.29
5 स्टार	3.3	

सारणी 3.2(ड.)

(1 जनवरी, 2018 से 31 दिसम्बर, 2019 तक)

भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (किलोवॉट घण्टा / किलोवॉट घण्टा)		
स्टार स्तर	न्यूनतम	अधिकतम
1 स्टार	3.1	3.29
2 स्टार	3.3	3.49
3 स्टार	3.5	3.99
4 स्टार	4.0	4.49
5 स्टार	4.5	

IndiaCode

(2) सारणियों में विनिर्दिष्ट स्टार रेटिंग योजना पैरा 2 में बताए गए एयर कंडीशनर के प्रकार और क्षमता के लिए उनके विनिर्माण या वाणिज्यिक खरीद या बिक्री के वर्ष पर निर्भर करती है।

(3) मॉडलों के लिए चुने गए स्टार स्तर उनके प्रत्येक स्टार स्तर की सापेक्ष ऊर्जा दक्षताओं की न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं पर आधारित होंगे जो सारणियों में विनिर्दिष्ट हैं और विवरणों के प्रदर्शन की अनुमति निम्नलिखित द्वारा अभिशासित होगी, अर्थात् : -

(i) सारणी 3.1 (घ) में विनिर्दिष्ट एकल एयर कंडीशनरों के 1 स्टार (ईईआर 2.50 – 2.69) को 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2017 तक और सारणी 3.1 (ड.) में 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2019 तक उक्त एयर कंडीशनरों के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयोजन से अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) सारणी 3.2 (घ) में विनिर्दिष्ट हाइ वॉल स्प्लिट एयर कंडीशनरों के 1 स्टार (ईईआर 2.70 – 2.89) को 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2017 तक उक्त एयर कंडीशनरों के न्यूनतम ऊर्जा निष्पादन स्तर को उन्नत बनाने के प्रयोजन से अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) स्टार रेटिंग स्तरों के लिए कोई ऋणात्मक छूट नहीं होगी तथा सभी परखे गए उपकरणों में प्रत्येक स्टार रेटिंग स्तर के लिए न्यूनतम दहलीज को पूरा किया जाएगा एवं विनिर्माण छूट तथा अन्य विविधताओं के लिए गुंजाइश को विनिर्माता द्वारा तब विचार में लिया जाएगा जब इसकी स्टार रेटिंग को निम्नलिखित बिन्दुओं पर पूर्णांक बनाने के विचार से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :-

i. कूलिंग क्षमता (वॉट), विद्युत खपत (वॉट), कूलिंग मौसमी कुल भार (किलोवॉट घण्टा), कूलिंग मौसमी ऊर्जा खपत (किलोवॉट घण्टा) के मान को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांक किया और दर्ज किया जाएगा;

ii. ऊर्जा दक्षता अनुपात या भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता के मानों को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांक किया और दर्ज किया जाएगा;

iii. इन सभी मानों को आईएस 2 के अनुसार संबंधित उल्लेखनीय आंकड़ों तक पूर्णांक बनाया जाएगा।

(5) प्रत्येक दो वर्षों के बाद स्टार स्तरीय योजना की समीक्षा की जाएगी।

4. परीक्षण विधियां : (1) प्रत्येक रूम एयर कंडीशनर एकल एयर कंडीशनर के लिए आईएस 1391(भाग 1) और स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिए आईएस 1391 (भाग 2) के अनुसार परीक्षण किया जाएगा

(2) परीक्षण के लिए पैरामीटर बिजली की खपत और कूलिंग क्षमता के परीक्षण होंगे और इनका अभिशासन अधिकतम प्रचालन परिस्थितियों के परीक्षण, कूलिंग के लिए बिजली की खपत के परीक्षण और एकल एयर कंडीशनर के लिए आईएस 1391(भाग 1) और स्प्लिट एयर कंडीशनर के लिए आईएस 1391 (भाग 2) के संगत खण्डों के अनुसार क्षमता की रेटिंग और कूलिंग हेतु बिजली की खपत के परीक्षण किए जाएंगे।

(3) कूलिंग का मौसमी कुल लोड, कूलिंग मौसमी ऊर्जा और भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात की गणना की विधि भारतीय परिस्थितियों के लिए निम्नलिखित विचलनों पर विचार करने के बाद आईएसओ 16358 के अनुसार होगी, अर्थात् :-

(i) बिन का तापमान 24 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच और प्रचालन के घण्टे 1600 कूलिंग घण्टा प्रति वर्ष होंगे;

(ii) संदर्भ भारतीय तापमान बिन वितरण सारणी 4.1 के अनुसार होगा।

सारणी 4.1

राष्ट्रीय जलवायु के लिए संदर्भ भारतीय तापमान बिन वितरण

डिग्री सेल्सियस में तापमान	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	कुल
औसत वार्षिक घंटे	527	590	639	660	603	543	451	377	309	240	196	165	130	101	79	59	44	31	20	10	5774
अंश	9.1	10.2	11.1	11.4	10.4	9.4	7.8	6.5	5.4	4.2	3.4	2.9	2.3	1.7	1.4	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	100
बिन का समय	146	163	177	183	167	150	125	104	86	67	54	46	36	28	22	16	12	9	6	3	1600

(4) कूलिंग मौसमी कुल लोड और कूलिंग मौसमी ऊर्जा की खपत की गणना के लिए आईएसओ 16358 के पैरा 6 के संगत खण्ड एयर कंडीशनर के प्रकार के अनुसार लागू होंगे।

(5) एयर कंडीशनर की परिवर्तनीय क्षमता के लिए बिजली की खपत और कूलिंग क्षमता परीक्षण सारणी 4.2 में दी गई उपयुक्त आवृत्ति की सेटिंग और परीक्षण की परिस्थितियों के साथ पूर्ण क्षमता की 50 प्रतिशत पर मानक कूलिंग और पूर्ण क्षमता पर मानक कूलिंग के साथ होगी।

सारणी 4.2

परीक्षण की परिस्थितियां

<table>
<tr><td colspan="2">तापमान</td><td>आईएस 1391 में प्रदान किए गए कूलिंग क्षमता परीक्षण (भाग 1 और भाग 2)</td><td>आईएस 1391 में प्रदान किए गए ऊर्जा खपत परीक्षण (भाग 1 और भाग 2)</td></tr>
<tr><td>बाहरी</td><td>आंतरिक</td><td colspan="2">35 डिग्री सेल्सियस पर</td></tr>
<tr><td rowspan="2">35 डिग्री सेल्सियसड्राई बल्ब तापमान और 24 डिग्री वैट बल्ब तापमान</td><td rowspan="2">27 डिग्री सेल्सियसड्राई बल्ब तापमान और 19 डिग्री वैट बल्ब तापमान</td><td>पूर्ण क्षमता पर मानक कूलिंग</td><td>पूर्ण क्षमता पर मानक कूलिंग</td></tr>
<tr><td>पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग</td><td>पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग</td></tr>
</table>

IndiaCode

(6) परिवर्तनशील क्षमता एयर कंडीशनर में पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग प्राप्त करने के लिए, विनिर्माता को अपने अनुदेश मैनुअल या उत्पाद के विवरण में आवृत्ति सेटिंग की घोषणा करनी होगी और इसे आवेदन या मॉडल के पंजीकरण के समय जमा किया जाएगा।

(7) विनिर्माता द्वारा अपने उत्पाद की आवृत्ति सेटिंग के प्रावधान प्रदान किए जाएंगे।

5. **सह्यता (छूट)** : - प्रत्येक यूनिट के लिए छूट की सीमा को निम्नलिखित पूरा करने के लिए परखा जाएगा, अर्थात्

(i) पूर्ण क्षमता पर मापी गई मानक कूलिंग रेटिड मान के 95 प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(ii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मापी गई मानक कूलिंग पूर्ण लोड क्षमता के ±5 प्रतिशत होगी;

(iii) पूर्ण क्षमता पर मानक विभिन्न के लिए मापी गई बिजली की खपत रेटेड मान के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(iv) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग के लिए मापी गई बिजली की खपत पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर रेटेड बिजली की खपत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(v) मापी गई ऊर्जा की खपत रेटेड मान के <1.05 होगी;

(vi) मापी गई ऊर्जा दक्षता का अनुपात रेटेड दक्षता अनुपात के >0.95 होगी;

(vii) मापी गई भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता का अनुपात रेटेड भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात के >0.95 होगी।

6. **परीक्षण रिपोर्ट** - प्रत्येक इकाई के परीक्षणों के परिणाम अनुलग्नक क में दिए जाएंगे।

अनुलग्नक क

परीक्षणों के परिणाम की रिपोर्टिंग के लिए प्ररूप

परीक्षण रिपोर्ट सं. **परीक्षण की तिथि :**

1. **रूम एयर कंडीशनर के विवरण**

(i) ब्रांड :

(ii) मॉडल का नाम (यदि लागू हो) :

(iii) मॉडल नंबर (पैकेज इकाई या आंतरिक इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है) :

(iv) मॉडल नंबर (बाहरी इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है) :

(v) एयर कंडीशनर कॉन्फ़िगरेशन 1 – एयर वितरण डक्टेड / नॉन-डक्टेड

(vi) एयर कंडीशनर कॉन्फ़िगरेशन 2 – केवल टाइप कूलिंग / केवल हीटिंग / कूलिंग और हीटिंग :

(vii) एयर कंडीशनर कॉन्फ़िगरेशन 3 – हीट ट्रांसफर एयर/ कूलिंग टॉवर / वॉटर लूप :

(viii) नॉन डक्टिड स्प्लिट सिस्टम इंडोर यूनिट माउंटिंग : वॉल हंग / सीलिंग के अंदर / फ्लोर माउंटिड / कैसेट / फ्लोर / सीलिंग

(ix) इकाई परीक्षण का सीरियल नंबर : पैकेज इकाई या आंतरिक इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है

(x) इकाई परीक्षण का सीरियल नंबर : बाहरी इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है

(xi) रेटेड वोल्टेज : V (पैकेज इकाई या आंतरिक इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है)

(xii) रेटेड वोल्टेज : V (बाहरी इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है)

(xiii) पूर्ण क्षमता पर मानक कूलिंग की रेटेड आवृत्ति : हर्ट्ज

IndiaCode

(xiv) पूर्ण क्षमता पर रेटेड मानक कूलिंग : वॉट

(xv) पूर्ण क्षमता पर मानक कूलिंग की रेटेड बिजली की खपत : वॉट

(xvi) रेटेड ताप क्षमता (जहां लागू हो) :

(xvii) रेटेड प्रभावकारी विद्युत इनपुट, हीटिंग (जहां लागू हो) :

(xviii) क्या यह एयर कंडीशनर एक परिवर्तनशील आउटपुट कंप्रेसर का उपयोग करता है (उदाहरण के लिए, स्पीड ड्राइव या मल्टी स्पीड कंप्रेसर) : (हां/ नहीं), (यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें)।

(xix) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर रेटेड मानक कूलिंग : वॉट

(xx) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग की रेटेड बिजली की खपत : वॉट

(xxi) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग की रेटेड आवृत्ति : वॉट

2. परीक्षण सारांश

(i) प्रत्येक परीक्षण प्रकार के लिए इस पेज की एक अलग प्रति पूरी करें, जैसा लागू है :

(ii) परीक्षण की तिथि :

(iii) परीक्षण अधिकारी :

(iv) परीक्षण विधि : केवल कूलिंग :

(v) परीक्षण का प्रकार : कूलिंग क्षमता / अधिकतम कूलिंग / सभी लागू परीक्षण

(vi) नाममात्र परीक्षण की स्थिति

(vii) आंतरिक उपकरण का परीक्षण रूम प्रकार : कैलोरीमीटर / तापीय धारिता परीक्षण कक्ष

(viii) बाहरी उपकरण का परीक्षण रूम प्रकार : कैलोरीमीटर / तापीय धारिता परीक्षण कक्ष / वॉटर लूप

(ix) परीक्षण मानक :

(x) परीक्षण की रीति : कूलिंग / हीटिंग / न्यूनतम कूलिंग :

(xi) आपूर्ति वोल्टेज : V (पैकेज इकाई या आंतरिक इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है)

(xii) आपूर्ति वोल्टेज : V (बाहरी इकाई यदि स्प्लिट प्रणाली है)

(xiii) आपूर्ति आवृत्ति : हट्र्ज

(xiv) औसत करंट (एम्प्स) : (सिंगल फेज) :

(xv) स्थिरीकरण अवधि (मिनट)

(xvi) परीक्षण अवधि (मिनट) :

(xvii) आंतरिक स्थिति – औसत ड्राई बल्ब (डिग्री से.) :

(xviii) आंतरिक स्थिति – अधिकतम भिन्नता वाले ड्राईबल्ब (अधिकतम – न्यूनतम) (डिग्री से.) :

(xix) आंतरिक स्थिति – औसत वैट बल्ब (डिग्री से.) : (जहां लागू हो)

(xx) आंतरिक स्थिति – अधिकतम भिन्नता वाले वैट बल्ब (अधिकतम – न्यूनतम) (डिग्री से.) : (जहां लागू हो)

(xxi) फैन की सेटिंग :

(xxii) औसत एयर फ्लो का वॉल्यूम (मी / घण्टा) :

(xxiii) इंडोर बाहरी स्टेटिक प्रेशर (पीए) : (केवल डक्टेड इकाइयां):

IndiaCode

(xxiv) बाहरी स्थिति – औसत ड्राई बल्ब (डिग्री से.) :

(xxv) बाहरी स्थिति – अधिकतम भिन्नता वाले ड्राई बल्ब (अधिकतम – न्यूनतम) (डिग्री से.) :

(xxvi) बाहरी स्थिति – औसत वेट बल्ब (डिग्री से.) :

(xxvii) बाहरी स्थिति – अधिकतम भिन्नता वाले वैट बल्ब (अधिकतम – न्यूनतम) (डिग्री से.) :

(xxviii) आवृत्ति पढ़ना (मिनट) :

3. कूलिंग क्षमता परिणाम

	पैरामीटर	मान
मापे गए पैरामीटर	(i) माप सेंसिबल कूलिंग क्षमता (वॉट) :	
	(ii) माप लेटेंट कूलिंग क्षमता (वॉट) :	
	(iii) पूर्ण क्षमता पर कुल कूलिंग (वॉट) माप :	
	(iv) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर कुल कूलिंग (वॉट) माप (यदि लागू हो) :	
रेटेड पैरामीटर	(i) पूर्ण क्षमता पर घोषित कुल कूलिंग (वॉट) :	
	(ii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर घोषित कुल कूलिंग (वॉट) (यदि लागू हो) :	

4. विद्युत खपत परिणाम

	पैरामीटर	मान
मापे गए पैरामीटर	(i) पूर्ण क्षमता पर माप विद्युत खपत (वॉट) :	
	(ii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर माप विद्युत खपत (वॉट) (यदि लागू हो) :	
घोषित पैरामीटर	(i) पूर्ण क्षमता पर घोषित विद्युत खपत (वॉट) :	
	(ii) पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर घोषित विद्युत खपत (वॉट) (यदि लागू हो) :	

5. घोषित निष्पादन पैरामीटर (जहां लागू हो)

पैरामीटर	मान
वॉट / वॉट में ऊर्जा दक्षता अनुपात	
किलोवॉट घण्टा में कूलिंग मौसमी ऊर्जा खपत	
किलोवॉट घण्टा में कूलिंग मौसमी कुल भार	
किलोवॉट घण्टा/किलोवॉट घण्टा में भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात	

6. अधिकतम परिचालन स्थितियों का परीक्षण परिणाम

(क) क्या यूनिट ने अधिकतम ऑपरेटिंग टेस्ट पास किया था? हां / नहीं

[फा. सं. 13/16/2015-ई.सी.]

राज पाल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2017

S.O. 2528(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.181 (E), dated the 12th January, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the following energy consumption standards for star labeled room air conditioners of the vapour compression type for household use up to a rated cooling capacity of 9000 kcal/hour and with effect from 1st January, 2018 namely:-

(1) The room air conditioner of the vapour compression type which are of unitary air conditioner and split air conditioner up to a rated cooling capacity of 10,465 Watts (9,000 kcal/hour) being manufactured, commercially purchased or sold in India shall –

(a) meet the compliance requirements of the maximum operating conditions test in accordance with IS 1391(Part1) for unitary air conditioner and IS 1391(Part2) for split air conditioner.

(b) be certified against IS/ISO 9000 or above.

(2) The label to be affixed to room air conditioner shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the room air conditioner shall be rated from star one to star five based on their relative energy efficiencies.

2 Definitions.- In this notification, unless the context otherwise requires,-

(a) "Cooling Seasonal Energy Consumption" means the total annual amount of energy consumed by the equipment when it is operated for cooling in active mode;

(b) "Cooling Seasonal Total Load" means the total annual amount of heat that is removed from the indoor air when the equipment is operated for cooling in active mode.

(c) "Energy Efficiency Ratio" means the ratio of capacity (in Watts) to the power consumption at nominal voltage and frequency;

(d) "Fixed Capacity Air Conditioner" means the type of room air conditioner, which does not have the possibility to change its capacity.

(e) "Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio" means the ratio of the total annual amount of heat that the equipment may remove from the indoor air when operated for cooling in active mode to the total annual amount of energy consumed by the equipment during the same period;

(f) "Multi–Stage Capacity Air Conditioner" means the type of room air conditioner, where the capacity is varied by three or four steps;

(g) "Split Air Conditioner" – for the split air conditioner, it must be noted that,-

(i) If it comprises of Indoor unit and Outdoor unit, the Indoor unit may be mounted on floor or wall or ceiling; (ii) the indoor and outdoor unit consists of compressor, heat exchangers, fan motors and air handling system installed in two separate cabinets; (iii) it is designed primarily to provide conditioned air to an enclosed space, room or zone (conditioned space); (iv) it includes a prime source of refrigeration cooling and dehumidification and means for the circulation and filtering of air.

(h) "Two – Stage Capacity Air Conditioner" means the type of room air conditioner, where the capacity is varied by two steps;

(i) "Unitary Air Conditioner"- for the unitary type air conditioner, it must be noted that,-

(i) an encased assembly designed as a self-contained unit primarily for mounting in a window or through the wall or as a console; (ii) it consists of compressor, heat exchangers and air handling system installed in one cabinet; (iii) it is designed primarily to provide free delivery of conditioned air to an enclosed space, room or zone (conditioned space); (iv) it includes a prime source of refrigeration for cooling and dehumidification and means

for the circulation and filtering of air; (v) it shall include means for exhausting air, and for heating, humidifying, or inducting fresh air;

(j) "Variable Capacity Air Conditioner" means the type of room air conditioner, where the capacity is varied by five or more steps to represent continuously variable capacity.

3. Star level or star rating plan.– (1) The star level or star rating of the room air conditioner shall be determined by energy efficiency ratio or Indian seasonal energy efficiency ratio which shall be obtained from Table 3.1 or Table 3.2 depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale, whichever is applicable.

Table 3.1

Unitary type air conditioner

Sl. No.	Product manufactured or commercially purchased or sold	No. to be used
1.	From 12th January, 2009 to 31st December, 2011	(a)
2.	From 1st January, 2012 to 31st December, 2013	(b)
3.	From 1st January, 2014 to 31st December, 2015	(c)
4.	From 1st January, 2016 to 31st December, 2017	(d)
5.	From 1st January, 2018 to 31st December, 2019	(e)

Table 3.2

Split type air conditioner

Sl. No.	Product manufactured or commercially purchased or sold	No. to be used
1.	From 12th January, 2009 to 31st December, 2011	(a)
2.	From 1st January, 2012 to 31st December, 2013	(b)
3.	From 1st January, 2014 to 31st December, 2015	(c)
4.	From 1st January, 2016 to 31st December, 2017	(d)
5.	From 1st January, 2018 to 31st December, 2019	(e)

IndiaCode

Table 3.1

Unitary Type Air Conditioners

Table 3.1(a)

(From 12th January, 2009 to 31st December, 2011)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.3	2.49
2 Star	2.5	2.69
3 Star	2.7	2.89
4 Star	2.9	3.09
5 Star	3.1	

Table 3.1(b)

(From 1st January, 2012 to 31st December, 2013)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.3	2.49
2 Star	2.5	2.69
3 Star	2.7	2.89
4 Star	2.9	3.09
5 Star	3.1	

Table 3.2

Split Type Air Conditioners

Table 3.2(a)

(From 12th January, 2009 to 31st December, 2011)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.3	2.49
2 Star	2.5	2.69
3 Star	2.7	2.89
4 Star	2.9	3.09
5 Star	3.1	

Table 3.2(b)

(From 1st January, 2012 to 31st December, 2013)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.5	2.69
2 Star	2.7	2.89
3 Star	2.9	3.09
4 Star	3.1	3.29
5 Star	3.3	

Table 3.1(c)

(From 1st January, 2014 to 31st December, 2015)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.5	2.69
2 Star	2.7	2.89
3 Star	2.9	3.09
4 Star	3.1	3.29
5 Star	3.3	

Table 3.2(c)

(From 1st January, 2014 to 31st December, 2015)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.7	2.89
2 Star	2.9	3.09
3 Star	3.1	3.29
4 Star	3.3	3.49
5 Star	3.5	

Table 3.1(d)

(From 1st January, 2016 to 31st December, 2017)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.5	2.69
2 Star	2.7	2.89
3 Star	2.9	3.09
4 Star	3.1	3.29
5 Star	3.3	

Table 3.2(d)

(From 1st January, 2016 to 31st December, 2017)

Energy Efficiency Ratio (Watt/Watt)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.7	2.89
2 Star	2.9	3.09
3 Star	3.1	3.29
4 Star	3.3	3.49
5 Star	3.5	

Table 3.1(e)

(From 1st January, 2018 to 31st December, 2019)

Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (kWh/kWh)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	2.5	2.69
2 Star	2.7	2.89
3 Star	2.9	3.09
4 Star	3.1	3.29
5 Star	3.3	

Table 3.2(e)

(From 1st January, 2018 to 31st December, 2019)

Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio (kWh/kWh)		
Star level	Minimum	Maximum
1 Star	3.1	3.29
2 Star	3.3	3.49
3 Star	3.5	3.99
4 Star	4.0	4.49
5 Star	4.5	

IndiaCode

(2) The star rating plan specified in the Tables shall be applicable for the type and capacity of air conditioners as specified in para 2, depending on the year of manufacturing or commercial purchase or sale.

(3) The star level chosen for the models shall be based on minimum and maximum limits of their relative energy efficiencies of each star level band specified in Tables and the permission for display of particulars shall be governed by following, namely:-

(i)1 star (EER 2.50 – 2.69) of unitary air conditioners specified in Table 3.1(d) shall not be permitted from 1st January 2016 to 31st December 2017 and Table 3.1(e) shall not be permitted from 1st January 2018 to 31st December 2019, for the purpose of upgrading the minimum energy performance level of such air conditioners.

(ii) 1 star (EER 2.70 – 2.89) of 1:1 high wall split air conditioners specified in Table 3.2(d) shall not be permitted from 1st January 2016 to 31st December 2017 for the purpose of upgrading the minimum energy performance level of such air conditioners.

(4) There shall be no negative tolerance for the star rating levels and all tested equipments shall meet the minimum threshold for each star rating level, and the scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer when determining the star rating, keeping in view the following points for rounding, namely:-

(i) the values of cooling capacity (W), power consumption (W), cooling seasonal total load (kWh), cooling seasonal energy consumption (kWh) shall be rounded and recorded to two decimal places;

(ii) the values of energy efficiency ratio or Indian seasonal energy efficiency ratio shall be rounded and recorded to two decimal places;

(iii) all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per IS 2.

(5) The star level plan shall be reviewed after every two years.

4. Testing methods.- (1) Every room air conditioner shall be tested in accordance with the IS 1391(Part 1) for unitary air conditioners and IS 1391(Part 2) for split air conditioners.

(2) The parameters for testing shall be power consumption and cooling capacity test and shall be governed by maximum operating conditions test, power consumption test for cooling and the capacity rating test as per relevant clauses of IS 1391(Part 1) for unitary air conditioners and IS 1391 (Part 2) for split air conditioners.

(3) The methodology for calculating the cooling seasonal total load, cooling seasonal energy consumption and Indian seasonal energy efficiency ratio shall be in accordance with the ISO 16358 considering the following deviations for Indian conditions, namely:-

(i) the bin temperature range shall be 24 to 43 degree celsius and the operating hours shall be 1600 cooling hours per annum;

(ii) the reference outdoor temperature bin distribution shall be in accordance with the Table 4.1

Table 4.1

Reference outdoor temperature bin distribution for national climatic

Temperature in degree Celsius	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	Total
Average Annual Hours	527	590	639	660	603	543	451	377	309	240	196	165	130	101	79	59	44	31	20	10	5774
Fraction	9.1	10.2	11.1	11.4	10.4	9.4	7.8	6.5	5.4	4.2	3.4	2.9	2.3	1.7	1.4	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	100
Bin Hours	146	163	177	183	167	150	125	104	86	67	54	46	36	28	22	16	12	9	6	3	1600

(4) The relevant clause of para 6 of ISO 16358 shall apply for the method of calculating cooling seasonal total load and cooling seasonal energy consumption, according to the type of air conditioners.

(5) The power consumption and cooling capacity test for variable capacity air conditioner shall be carried out at both standard cooling at full capacity and standard cooling at fifty per cent. of full capacity, with appropriate frequency settings and the test conditions shall be as provided in Table 4.2.

Table 4.2

Test Conditions

Temperature		Cooling capacity test as provided in IS 1391 (Part 1 and Part 2)	Power consumption test as provided in IS 1391 (Part 1 and Part 2)
Outdoor	Indoor	At 35 degree Celsius	
35 degree Celsius dry bulb temperature and 24 degree wet bulb temperature	27 degree Celsius dry bulb temperature and 19 degree wet bulb temperature	Standard cooling at full capacity	Standard cooling at full capacity
		Standard cooling at fifty per cent. of full capacity	Standard cooling at fifty per cent. of full capacity

(6) To achieve the standard cooling at fifty per cent. of full capacity in variable capacity air conditioner, the manufacturer shall declare the frequency setting in their instruction manual or the product literature and shall be submitted at the time of application or registration of model.

(7) The manufacturer shall provide the provision of frequency setting in the product itself.

5. Tolerance.-The tolerance limit for each unit tested shall fulfill the following, namely:-

(i) the measured standard cooling at full capacity shall not be less than ninety five per cent. of the rated value;

(ii) the measured standard cooling at fifty per cent. of full capacity shall be ±5 per cent. of full load capacity;

(iii) the measured power consumption for standard cooling at full capacity shall not be more than five per cent. of the rated value;

(iv) the measured power consumption for standard cooling at fifty per cent. of full capacity shall not be more than ten per cent. of the rated power consumption at fifty per cent. of full capacity;

(v) the measured energy consumption shall be <1.05 of the rated value;

(vi) the measured energy efficiency ratio shall be >0.95 of the rated energy efficiency ratio;

(vii) the measured Indian seasonal energy efficiency ratio shall be >0.95 of the rated Indian seasonal energy efficiency ratio;

6. Test report. – The result of test of each unit shall be reported in Annexure A.

Annexure A

Form for reporting the result of test

Test report number: **Date of test:**

1. Details of room air conditioner

(i) Brand:

(ii) Model name: (if applicable):

(iii) Model number: (of package unit or indoor unit if split system):

(iv) Model number: (of outdoor unit if split system):

(v) Air conditioner configuration 1 – Air distribution ducted/non-ducted:

(vi) Air conditioner configuration 2 – type cooling only/heating only/cooling and heating:

(vii) Air conditioner configuration 3 – heat transfer air/cooling tower/water loop:

(viii) Non-ducted split system indoor unit mounting: wall-hung/under ceiling/floor mounted/cassette/ floor/ceiling:

(ix) Serial number of unit tested: of package unit or indoor unit if split system:

(x) Serial number of unit tested, of outdoor unit if split system:

(xi) Rated voltage: V (of package unit of indoor unit if split system):

(xii) Rated voltage: V (of outdoor unit if split system):

(xiii) Rated frequency of standard cooling at full capacity: Hz:

(xiv) Rated standard cooling at full capacity: W:

(xv) Rated power consumption of standard cooling at full capacity: W:

(xvi) Rated heating capacity (where applicable):

(xvii) Rated effective power input, heating (where applicable):

(xviii) Does this air conditioner use a variable output compressor (for example, speed drive or multi-speed compressor): (Yes/No)

(If yes, provide details for the following)

(xix) Rated standard cooling at fifty per cent. of full capacity: W

(xx) Rated power consumption of standard cooling at fifty per cent. of full capacity: W

(xxi) Rated frequency of standard cooling at fifty per cent. of full capacity: W

2. Test summary

(i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable:

(ii) Date of test:

(iii) Test officer:

(iv) Test mode: Cooling only:

(v) Test type: Cooling capacity/maximum cooling/all applicable tests

(vi) Nominal test condition:

(vii) Test room type indoor equipment: Calorimeter/Enthalpy test room

(viii) Test room type outdoor equipment: Calorimeter/Enthalpy test room/water loop

IndiaCode

(ix) Test Standard:

(x) Test mode: Cooling/heating/maximum cooling:

(xi) Supply voltage: V (of package unit or indoor unit if split system):

(xii) Supply voltage: V (of outdoor unit if split system):

(xiii) Supply frequency: Hz

(xiv) Average current (amps): (Single-phase):

(xv) Stabilization period (minutes):

(xvi) Test period (minutes):

(xvii) Indoor condition – mean dry bulb (°C):

(xviii) Indoor condition – maximum variation dry bulb (Max – min) (°C):

(xix) Indoor condition – mean wet bulb (°C): (where applicable):

(xx) Indoor condition – maximum variation wet bulb (max – min) (°C): (where applicable):

(xxi) Fan setting:

(xxii) Average air flow volume (m/hour):

(xxiii) Indoor external static pressure (Pa): (ducted units only):

(xxiv) Outdoor condition – mean dry bulb (°C):

(xxv) Outdoor condition – maximum variation dry bulb (max – min) (°C):

(xxvi) Outdoor condition – mean wet bulb (°C):

(xxvii) Outdoor condition – maximum variation wet bulb (max – min) (°C):

(xxviii) Reading frequency (minutes):

IndiaCode

3. Cooling capacity results

	Parameters	Values
Measured parameters	(i) Measured sensible cooling capacity (W):	
	(ii) Measured latent cooling capacity (W):	
	(iii) Measured total cooling (W) at full capacity:	
	(iv) Measured total cooling (W) at fifty per cent. of full capacity (if applicable):	
Rated parameters	(i) Declared total cooling (W) at full capacity:	
	(ii) Declared total cooling (W) at fifty per cent. of full capacity (if applicable):	

4. Power Consumption results

	Parameters	Values
Measured parameters	(i) Measured power consumption (W) at full capacity:	
	(ii) Measured power consumption (W) at fifty per cent. of full capacity (if applicable):	
Declared parameters	(i) Declared power consumption (W) at full capacity:	
	(ii) Declared power consumption (W) at fifty per cent. of full capacity (if applicable):	

5. Declared performance parameters (where applicable)

Parameters	Value
Energy Efficiency Ratio in Watt/Watt	
Cooling Seasonal Energy Consumption in kWh	
Cooling Seasonal Total Load in kWh	
Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio in kWh/kWh	

6. Maximum operating conditions test results

(a) Did the unit pass the maximum operating test? Yes/No

[F. No. 13/16/2015-EC]

RAJ PAL, Economic Adviser

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2017/अग्रहायण 8, 1939
No. 453] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 8, 1939

विद्युत मंत्रालय

(ऊर्जा दक्षता ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2017

सं. बीईई /एस एण्ड एल/एसी/37/2017-18 – ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियाँ और रीति) विनियम, 2017 का प्रारूप अधिसूचना संख्या बीईई/एस एण्ड एल/एसी/37/2017-18, तारीख 8 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है, राजपत्र में प्रकाशित प्राय विनियमों में अतिविशिष्ट अधिसूचनाओं की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करते हुए जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें प्ररूप विनियम प्रकाशित किए गये थे, जनता को 8 अगस्त, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और पूर्वोक्त अवधि के भीतर उक्त प्ररूप विनियमों के संबंध मे जो सुझाव प्राप्त हुए है, उन पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (i) पठित धारा 14 के खंड (घ) और धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुकूलकों के लेबलो पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियाँ और रीति) विनिमय, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :- इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक के लेबलों पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति), विनियमन, 2017 है।

2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) है;

(ख) "प्ररूप" से तात्पर्य इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप है;

(ग) "लेबल" से तात्पर्य कक्ष वातानुलक पर चिपकाया गया या प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री है;

(घ) "लेबल अवधि" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत मानक के अधीन भारतीय मौसम ऊर्जा दक्षता अनुपात की वैधता अवधि से है और यदि भारतीय मौसम ऊर्जा दक्षता अनुपात की वैधता की अवधि की अंतिम अवधि विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, तो यह अवधि इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नए ऊर्जा दक्षता अनुपात तक वैध मानी जाएगी;

(ङ) "मॉडल या मॉडलों का परिवार" से तात्पर्य किसी विशेष ब्राण्ड का मॉडल या मॉडलों की रेंज है जिसके संबंध में जांच रिपोर्टों का एकल समुच्चय प्रयोजनीय है और जहां प्रत्येक मॉडल के भौतिक लक्षण, ऊर्जा दक्षता अनुपात, ऊर्जा दक्षता स्तर और निष्पादन लक्षण समान हैं;

(च) "अनुज्ञाधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे विनियम 7 के अधीन अनुज्ञा दी गई है;

(छ) "कक्ष वातानुलक " का अर्थ है अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ख) के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट एक उपकरण;

(ज) "स्टार स्तर अथवा स्टार रेटिंग" से तात्पर्य कक्ष वातानुलक की ऊर्जा दक्षता को दर्शाने के लिए अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक पर आधारित कक्ष वातानुलक के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड है; और

(झ) लेबल लगे कक्ष वातानुलक के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ऐसे कक्ष वातानुलक की बिक्री या वितरण करता है और इसमें ऐसे विनिर्माता, व्यापारी और कक्ष वातानुलक पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञाधारक शामिल हैं।

(2) यहां इसमें प्रयुक्त जो शब्द और अभिव्यक्तियां अपरिभाषित हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका अधिनियम में उन्हें क्रमश: दिया गया आशय ही होगा।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाला विवरण :- (1) प्रत्येक कक्ष वातानुलक पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;

(ख) वातानुलक का उपसाधन या टाइप;

(ग) विनिर्माता या आयातक और ब्राण्ड का नाम;

(घ) विनिर्माण या आयात का मॉडल नंबर और वर्ष;

(ङ) वॉट्स में कूलिंग क्षमता (शत प्रतिशत);

(च) वॉट्स में कूलिंग क्षमता (पचास प्रतिशत);

(छ) इकाई प्रति वर्ष में बिजली की खपत;

(ज) परिवर्तनशील गति संपीडक

(झ) ताप पंप;

(a) भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात

(ञ) लेबल की अवधि

(ट) स्टार स्तर; और

(ठ) विशिष्ट श्रृंखला कोड;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय सीमा : - (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट विवरण वाला लेबल विनियमन के लागू होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर प्रत्येक कक्ष वातानुलक पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन सारणी 3.1 (ड.) और सारणी 3.2 (ड.) के उपबंध के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञाधारक, विक्रेता या व्यापारी सुनिश्चित करेगा कि

(क) बिक्री के लिए रखे गए कक्ष वातानुलक संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समसामयिक कर संशोधित स्टार स्तर और कक्ष वातानुलक के विनिर्माण का वर्ष और आयात का वर्ष उक्त संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समसामयिक होगा;

परंतु, निर्बाध संक्रमण के लिए विनिर्माता संशोधित ऊर्जा पालन मानको के साथ, प्रारम्भ की तारीख से दो माह अग्रिम उत्पादन या आयात कर सकेगा;

(ख) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनकी जागरूकता के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक उपाय इन विनियमों के अधीन ऐसे प्रारंभ की तारीख से छह माह पूर्व नियोजित और निष्पादित किए जाएंगे।

5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति:- (1) प्रत्येक विनिर्माता, विक्रेता या व्यापारी प्रत्येक कक्ष वातानुलक पर बिक्री के समय एक लेबल प्रदर्शित करेगा और लेबल पर या तो उस पर चिपकाया जाएगा या एक स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जाएगा।

(2) प्रदर्शित नहीं की गई इकाइयों के लिए लेबल इकाई या मॉडल सहित वातानुलक की केसिंग के बाहर चिपकाया जाए और यह लेबल इकाई, जब इकाई को इसकी पैकिंग से बाहर निकाला जाता है या लेबल को ग्राहक या प्रयोक्ता को दिए जाने वाले दस्तावेज के भाग के रूप में शामिल किया जाए।

6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा :- (1) ब्यूरो की अनुमति के बगैर कक्ष वातानुलक पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।

(2) कंपनी का रजिस्ट्रीकरण: ब्यूरो की अनुज्ञा लेने के प्रयोजन के लिए, प्ररूप 1 – (क) में विनिर्दिष्ट रूप में अलग से रजिस्ट्रीकृत कराया जाएगा जिसके लिए प्रत्येक ब्रांड द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय एक लाख रुपए की लेबल जमानत शुल्क, मांग पत्र या भुगतान के किसी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा :

परन्तु, लघु उद्योग के मामले में, लेबल की जमानत राशि केवल पच्चीस हजार रुपए होगी।

(3) मॉडल का रजिस्ट्रीकरण - उप- विनियम (2) के अधीन अनुज्ञाधारक के प्रत्येक आवेदन-पत्र के निम्नलिखित संलग्न होंगे

(क) प्रति मॉडल ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क या भुगतान के किसी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय होगा;

(ख) प्ररूप-1 – (ख) में: विनिर्दिष्ट दस्तावेज ।

7. अनुज्ञा प्रदान करना :- (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अध्यधीन, इसके मानकों और लेबलिंग की निर्देशिका में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ;

(क) प्ररूप-II (क) में या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में ब्रांड को रजिस्टर करना ; और

(ख) प्ररूप-II (ख) में या इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में ब्रांड या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कक्ष वातानुलक पर लेबल लगाने की अनुमति देगा ।

(2) ब्यूरो, प्ररूप-III में रजिस्टर बनाकर रखेगा और इसमें अनुज्ञाधारक के नाम प्रविष्ट करेगा ।

(3) उप- विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक मान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है|

(4) अनुज्ञाधारक द्वारा अनुज्ञा के नवीकरण के लिए आवेदन इस अवधि की समाप्ति से छह माह के भीतर किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में मांग पत्र के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक हजार रुपए का देय शुल्क होना चाहिए;

परंतु, किसी भी आवेदन को नवीकरण की अनुमति इसके समाप्त होने के एक माह पहले नहीं दी जायेगी ।

(5) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र मिलने पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर प्ररूप-II (ख) में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है ।

(6) वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा, इस दशा में अनुज्ञाधारक को नया आवेदन पत्र दे सकेगा ।

(7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से कक्ष वातानुलक के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) यदि कक्ष वातानुलक के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार स्तर के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की योजना है तो अनुज्ञाधारक नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह माह पूर्व किया जाएगा ।

8. लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें :- प्रत्येक अनुज्ञाधारक, विक्रेता या व्यापारी लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित निबंधन और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) कक्ष वातानुलक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित कक्ष वातानुलक के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;

(ख) यह लेबल कक्ष वातानुलक के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;

(ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित किया और कक्ष वातानुलक पर चिपकाया जाएगा;

(घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि कक्ष वातानुलक पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;

(ङ) अनुज्ञाधारक विनियम विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;

(छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीलरों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया करेगा;

(ज) अनुज्ञाधारक, विक्रेता या व्यापारी ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की निर्देशिका में निहित निबंधन और शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों ।

IndiaCode

9. लेबल शुल्क : - (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को कक्ष वातानुलक पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए तीस रुपए के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के भीतर वार्षिक तौर पर किया जाएगा;

परंतु, यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान न करने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (2) के अधीन प्रतिभूति जमानत राशि से इस पर प्रति वर्ष दस प्रतिशत की दर से इस पर ब्याज का भुगतान करेगा और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता, ब्यूरो अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम व्यतिकर्मी के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रतिदाय-: विनियम 9 के उप-विनियम (2) के प्रावधान के अध्यधीन, अनुज्ञाधारक कक्ष वातानुलक का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क के प्रतिदाय का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन :- (1) ब्यूरो इसकी स्वप्रेरणा से या परिवाद प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि कक्ष वातानुलक इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विवरण के अनुरूप है और यह अनुज्ञा के अन्य निबंधन और शर्तों के अनुपालन में है। सभी परीक्षण जिसमे विद्युत खपत भी सम्मिलित हैं, को ब्यूरो द्वारा या सत्यापन और चुनौती परीक्षण के उद्देश्य के लिए इसके नामित एजेंसी के द्वारा सामर्थ्य परीक्षण और अधिकतम प्रचालक शर्त परीक्षण को संचालित किया जायेगा।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो या विनिर्माता सुविधा से इसकी अभिहित एजेंसी, द्वारा जैसे यह उचित समझे, भण्डारगृह या फुटकर विक्रय केन्द्र से यादृच्छिक तौर नमूने एकत्र करेगा;

(3) जहां उप- विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में कक्ष वातानुलक की जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञाधारक को प्ररूप V में ऐसे परीक्षण के निष्पादन और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च के लिए नोटिस जारी किया जाएगा; अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा विनिर्धारित की गई हो; यदि जांच परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने विफल रहते हैं, सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय शिकायतकर्ता को प्रत्यार्पित करेगा और जहां उपकरण आक्षेप परीक्षणपर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे;

(4) जहां जांच के लिए कक्ष वातानुलक के नमूने स्वयमेव परीक्षण या आक्षेप परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहते हैं, अनुज्ञाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त कक्ष वातानुलक के दुगने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा जो प्रथम परीक्षण में जांचे गए थे, जो उस प्रयोगशाला से अलग है जिसमें प्रथम परीक्षण किया गया था।

(5) ब्यूरो द्वारा अनुज्ञाधारक को प्ररूप V में उप विनियम (2) में संदर्भित आक्षेप परीक्षण को उप विनियम (3) में संदर्भित दूसरे परीक्षण को उप विनियम (4) में देखने की सूचना दी जाएगी और नमूने की खरीद और परीक्षण के व्यय किए जाएंगे।

(6) जहां अनुज्ञाधारक उक्त व्यय करने में विफल रहता है, ब्यूरो द्वारा –

(क) उप विनियम (3) में संदर्भित आक्षेप परीक्षण या उप विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखा जाएगा;

(ख) विनियमन 6 के अधीन प्राप्त अगले आवेदन पर कार्रवाई रोक दी जाएगी;

(ग) विनियमन 7 के अधीन अनुज्ञाधारक को प्ररूप V जारी करने की तारीख से 6 माह बाद प्रदान किए गए सभी लेबल रद्द कर दिए जाएंगे।

(7) जहां, दूसरा परीक्षण विफल होता है, ब्यूरो,-

(क) अनुज्ञाधारक फॉर्म VI, में सभी राज्य अभिहित एजेंसियों को निदेश देगा कि अनुज्ञाधारक दो माह की अवधि के अंदर, -

IndiaCode

(i) कक्ष वातानुलक के लेबल पर सही स्टार स्तर प्रदर्शित करेगा या परीक्षण के दौरान त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;

(ii) ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा;

(iii) विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन करेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के भीतर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्दिष्टता किसी दैनिक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समाचार-पत्र या इलेक्ट्रॉनिक या यथोचित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा।

(ग) संबंधित राज्य अभिहित एजेंसी को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई करने के लिए सूचित करेगा।

(8) अनुज्ञाधारक उप-विनियम (7) में संदर्भित दो माह की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के भीतर, ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VII में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा ।

(9) यदि उप-विनियम (8) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्धारित अवधि के भीतर निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निर्देश के अनुपालन में नहीं किया माना जाएगा और ब्यूरो इस आशय का आदेश जारी करेगा।

(10) ब्यूरो धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य अभिहित एजेंसियों को उप-विनियम (8) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (9) में जारी आदेशों की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और उप-विनियम (9) के अधीन जारी आदेशों का प्रत्यावर्तन करेगा;

(11) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (7) के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को सूचना देते हुए, -

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञाधारक को प्रदत्त अनुमति वापस ले लेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञाधारक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक और ब्यूरो द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन करने में विफलता के समर्थन में जांच रिपोर्ट के साथ, ब्यूरो द्वारा खण्ड (क) के अधीन विचार के लिए और धारा 14 के खण्ड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएंगे।

(ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के भीतर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से जैसा उचित समझे, अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा।

(घ) संबंधित राज्य अभिहित एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ आगे अधिनिर्णय कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुमति रद्द करना - ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुमति को रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक-

(क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निबंधन और शर्त का पालन नहीं करता;

(ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान नहीं करता;

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

IndiaCode

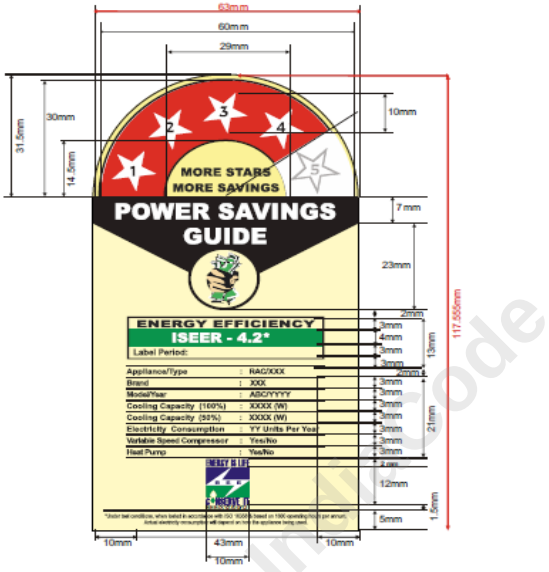
अनुसूची

[विनियम 3(2) देखें]

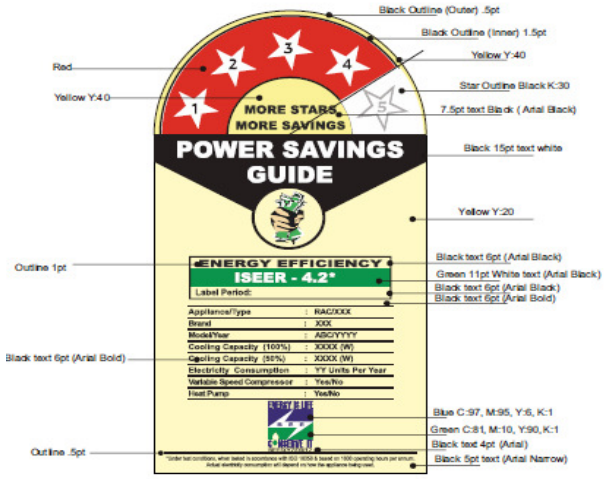
कक्ष वातानुलक के लेबलों पर प्रदर्शित किए गए विवरण

(1.) लेबल डिजाइन

(i) आयाम :



(ii) रंग योजना :



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रतीक चिह्न की रंग योजना :

नीला

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S):64% ब्राइटनेस(B):59%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) :28, क्रोमेटिक पुर्जे -a:24 b:54

लाल (R):54 हरा(G):55 नीला(B):151

सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला(K):1%

वेब कलर कोड - #363797

हरा –

ह्यू (H)- 150° सेचुरेशन (S): 10% ब्राइटनेस(B): 67%

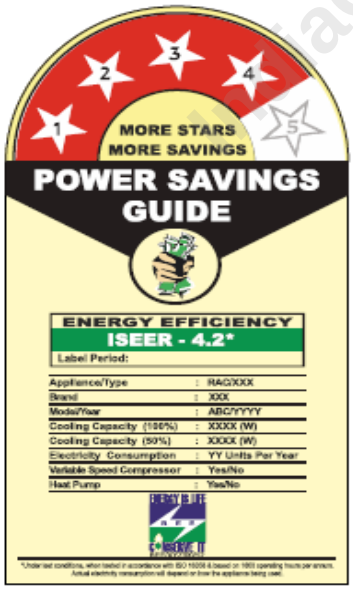
ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 61, क्रोमेटिक पुर्जे -a: 53 b:32

लाल (R): 0 हरा(G): 170 नीला(B): 87

सियान (C): 81% मैजेंटा (M): 10% पीला (Y): 90% काला (K): 1%

वेब कलर कोड - #00AA56;

(iv) कक्ष वातानुलक के लिए मुद्रित लेबल का पूरा नमूना -



(2) लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ गत्ते का होगा, यदि यह एक स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जा रहा है, या स्वयं चिपकने वाला हो सकता है और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई रूपरेखा में से एक को काटा जाएगा।

प्ररूप I – (क)

[विनियम 6 (2) देखें**]**

(कंपनी के लैटर हैड में मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017 के अधीन कक्ष वातानुलक के ब्रांड के पंजीकरण के लिए आवेदन-पत्र

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर – 1,
आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

1. मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ की शैली के अंतर्गत _____ (व्यवसाय का पूरा पता) व्यवसाय करने के लिए कक्ष वातानुलक का/के विनिर्माता अथवा विनिर्माता हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, कक्ष वातानुलक पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं।

2. उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण अनुबंध 'क' में दिया गया है। फर्म पंजीयक अथवा संस्थाओं या उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की फोटोप्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

 (**क**) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म या अन्य अधिकारियों आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

 (**ख**) संपर्क व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

 (**ग**) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूं/ देते हैं

3. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, कथित उपकरण के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रुपए)
..... सेतक अंतिम वर्ष सेतक (अनुमान) चालू वर्ष			

4. मांग पत्र सं. _____ तारीख. _____ / इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए, जैसा भी मामला हो, लेबल प्रतिभूति शुल्क का भुगतान कर दिया गया है (लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय भरा जाए।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने को सहमत हूं/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।

7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।

8. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख. (वर्ष) दिन

हस्ताक्षर
नाम.....
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

उपाबंध क

(प्ररूप I – (क) का पैरा 2 देखें)

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं .	
फैक्स नं .	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक **(क)** विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते का प्रमाणीकरण करने वाले दस्तावेज़ **(ख)** व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र **(ग)** लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो **(घ)** गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र **(ङ)** प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र **(च)** भारतीय मानक ब्यूरो अनुज्ञप्ति, यदि लागू हो **(छ)** यदि भुगतान में डिमांड ड्राफ्ट (सुरक्षा जमा) / भुगतान रसीद ऑनलाइन बनाई जाती है	हां / नहीं

IndiaCode

2. विनिर्माण परिसर के विवरण (यदि एक से अधिक विनिर्माण सुविधाएं हैं तो अलग सारणी बनाई जाए)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन नं .	
फैक्स नं .	
ई मेल-	
वेबसाइट	
अन्य कोई विवरण (यदि कोई हों)	

हस्ताक्षर
नाम

पदनाम
के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 1 – (ख)

[विनियम 6 (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियमन, 2017 के अधीन कक्ष वातानुलक पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

1. मैं / हम / ब्रांड का नाम (ब्रांड का नाम) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी विशिष्ट लेबल सीरीज कोड के अधीन कक्ष वातानुलक के रजिस्ट्रीकृत विनिर्माता हूं/हैं।

2. उपरोक्त उपकरण का विनिर्माण या आयात ब्रांड का नाम (कंपनी का नाम) द्वारा किया गया है और इसे (कारखाने का नाम और पता) विनिर्मित किया गया है।

3. उपकरण के संबंध में जानकारी के विवरण, परीक्षण उत्पादों, लेबल और भुगतान के प्रमाणन अनुलग्नक ख में दिए गए हैं और सुसंगत फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न है।

4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम _____ पुष्टि करते हैं कि (उपकरण का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का शीर्षक) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट भारतीय मानक/अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली /

IndiaCode

अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं।

मैंने / हमने, उपकरण की अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ अथवा एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड या इंटरनेशनल लैब एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन या एशिया पैसिफिक लैब एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन या समकक्ष निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसका कार्य विस्तार संगत भारतीय मानकों / मानकीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन / इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकैमिकल कमिशन मानक के अनुसार है जैसा कि सांविधिक आदेश में निर्दिष्ट है।

प्रयोगशाला का ब्यौरा :

क) प्रत्यायन बोर्ड :

ख) प्रत्यायन की प्रास्थिति :

1. प्रयोगशाला के लिए : (हां / नहीं)
2. परीक्षण मानक के लिए : (संगत उत्पाद मानक का नाम / संख्या निर्दिष्ट करें)

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. (क) मांग पत्र सं. _____ तारीख. _____ / इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा दो हजार रुपए के आवेदन फीस _____ का भुगतान कर दिया गया है।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तीस रुपए प्रति लेबल के लेबलिंग फीस का भुगतान करने को सहमत हूं/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।

9. मैं/हम यह वचनबंध करता हूं/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख. (वर्ष) दिन

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

IndiaCode

उपाबंध

[प्ररूप I – (ख) का पैरा 3 देखें]

सूचना के ब्यौरे

1. उत्पाद / उपकरण के ब्यौरे

1.1 साधारण (सभी लागू ब्यौरे पूरे करें)

साधित्र और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और नंबर
क्रम सं. (क) आंतरिक इकाई : (ख) बाहरी इकाई :
वॉट में पूर्ण क्षमता (सौ प्रतिशत) पर मानक कूलिंग
वॉट में पूर्ण क्षमता पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग
परिवर्तनशील गति संपीडत (हां / नहीं)
ताप पम्प (हाँ / नहीं) :
वोल्टेज रेंज (**V**) :
नाममात्र करंट में मूल्यांकन की स्थिति (क) :
बी आई एस प्रमाणपत्र ब्यौरा (यदि कोई हों) (अनुज्ञप्ति / प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र ब्यौरा (अनुज्ञप्ति / प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)
भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात (किलोवॉट घण्टा / किलोवॉट घण्टा) :
स्टार रेटिंग

IndiaCode

1.2 **तकनीकी विवरण** (लागू होने वाले विवरण को पूरा करें)

(क) परीक्षण मान:

क्र. सं.	**मापे गए मान**		**रेटेड मूल्य**	
1.	पूर्ण क्षमता (वॉट) पर मानक कूलिंग		पूर्ण क्षमता (वॉट) पर मानक कूलिंग	
2.	पूर्ण क्षमता (वॉट) के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग		पूर्ण क्षमता (वॉट) के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग	
3.	पूर्ण क्षमता के मानक कूलिंग पर बिजली की खपत (वॉट में)		पूर्ण क्षमता के मानक कूलिंग पर बिजली की खपत (वॉट में)	
4.	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग पर बिजली की खपत (वॉट में)		पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग पर बिजली की खपत (वॉट में)	
5.	पूर्ण क्षमता के मानक कूलिंग पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)		पूर्ण क्षमता के मानक कूलिंग पर आवृत्ति (हर्ट्ज में)	

6.	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग पर बारंबारता (हट्र्ज में)		पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग पर आवृत्ति (हट्र्ज में)	
7.	किलो वॉट घण्टा में कूलिंग मौसमी ऊर्जा की खपत		किलो वॉट घण्टा में कूलिंग मौसमी ऊर्जा की खपत	
8.	किलो वॉट घण्टा में कूलिंग मौसमी कुल लोड		किलो वॉट घण्टा में कूलिंग मौसमी कुल लोड	
9.	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात कूलिंग मौसमी कुल भार / कूलिंग मौसमी ऊर्जा की खपत		भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात कूलिंग मौसमी कुल भार / कूलिंग मौसमी ऊर्जा की खपत	

(ख) आवृत्ति सेटिंग : (लागू होने वाले विवरण को पूरा करें)

	पूर्ण क्षमता (रेटेड) पर मानक कूलिंग	पूर्ण क्षमता (रेटेड) के पचास प्रतिशत पर मानक कूलिंग
आवृत्ति सेटिंग (हट्र्ज में)		

2. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे

जांच प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (1) प्रयोगशाला के लिए (2) सुसंगत मानकों के लिए (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	हां / नहीं
प्रत्यायन का सत्यापन (समर्थन दस्तावेज संग्लन करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

IndiaCode

3. लेबलिंग की जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख.	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए लागू लेबल की संख्या क) पहले वर्ष के लिए - ख) दूसरे वर्ष के लिए - ग) तीसरे वर्ष के लिए -	
से _____ **तक** _ _____	उत्पाद क्रम सं.

4. मॉडल के ब्यौरे :

मॉडल / मॉडल का परिवार (यदि लागू हो)	**मॉडल का नाम / मॉडल नंबर**
बेस मॉडल	
चाइल्ड मॉडल	

कक्ष वातानुलक पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है। [मॉडल के परिवार के लिए अलग पन्ना लगाएं (यदि लागू हो)]

IndiaCode

तारीख.

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
.....
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप 2 – (क)

[विनियम 7 (1) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के अधीन कक्ष वातानुलक के ब्रांड का रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञा

नई दिल्ली , तारीख

सेवा में ,

.

.

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो एतदद्वारा आपको इस पत्र के साथ संलग्नक ग में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है —

(क) कक्ष वातानुलक के लेबल पर दर्शाया गया स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन कक्ष वातानुलक के लिए अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों और उल्लिखित विनियमों में दिए गए नियमों व शर्तों को पूरा करता हो;

(ख) लेबल कक्ष वातानुलक के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;

(ग) लेबल, अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और कक्ष वातानुलक पर चिपकाया जाएगा;

(घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि कक्ष वातानुलक पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;

(ङ) अनुज्ञाधारक ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को एक विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल धारक उपकरण के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से अगले माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का विवरण होगा। यह विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान की जाएगी।

(छ) अनुज्ञाधारक कक्ष वातानुलक के संबंध में अन्य विवरण, जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है, जैसे और जब भी ब्यूरो द्वारा मांगा जाता है, प्रदान करेगा।

3. अनुज्ञाधारक, अनुमति की विधिमान्यता अवधि के दौरान, ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कक्ष वातानुलक को रेजिस्ट्रीकृत ब्रांड बाजार से नहीं हटाएगा।

4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सम्मनुदेशित डिजाइन के अनुसार ब्रांड के लिए दी गई विशेष लेबल श्रृंखला है और यह लेबल पर दिखाई देनी चाहिए।

5.तारीखमाह वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

भवदीय

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध ग

[प्ररूप 2-(क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्योरे

1. कंपनी के ब्योरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं .	
फैक्स नं .	
ई मेल-	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम :

3. विशेष श्रृंखला कोड :

4. अन्य विवरण (यदि लागू हो) :

IndiaCode

तारीख. :

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 2 – (ख)

[विनियम 7 (5) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 के अधीन कक्ष वातानुलक पर लेबल लगाने की अनुज्ञा / अनुज्ञा का नवीकरण

नई दिल्ली , तारीख. :

सेवा में ,

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो एततद्वारा आपको इस पत्र के साथ उपाबंध में बताए गए अनुमोदनों के ब्यौरे के अनुसार लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अध्यधीन है कि -

(क) कक्ष वातानुलक के लेबल पर दर्शाया गया स्टा्र स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन कक्ष वातानुलक के लिए अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों और उल्लिखित विनियमों में दिए गए नियमों व शर्तों को पूरा करता हो;

(ख) लेबल कक्ष वातानुलक के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है;

(ग) लेबल, अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और कक्ष वातानुलक पर चिपकाया जाएगा;

(घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि कक्ष वातानुलक पर प्रदर्शित स्टार स्तर सभी-समय बना रहेगा;

(ङ) अनुज्ञाधारक प्रति लेबल तीस रुपए का संदाय करेगा;

(च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को एक विवरण मुहैया करेगा जिसमें लेबल धारक उपकरण के उत्पादन और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत से अगले माह के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का ब्यौरा होगा।

(छ) वही ब्यौरा ब्यूरो को स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से भी प्रदान किया जाएगा।

(ज) अनुज्ञाधारक कक्ष वातानुलक के संबंध में अन्य विवरण, जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है,जैसे और जब भी ब्यूरो द्वारा मांगा जाता है, प्रदान करेगा।

3. यह अनुमति से तक विधिमान्य होगी और इसका नवीकरण कराया जा सकता है। अनुज्ञाधारक, अनुमति की विधिमान्यता अवधि के दौरान, ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना, कक्ष वातानुलक को बाजार से नहीं हटाएगा।

4.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

IndiaCode

उपाबंध

[प्ररूप 2 (ख) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदन का ब्यौरा

1. उपकरण के ब्यौरे

(क) ब्रांड :
(ख) मॉडल के ब्यौरे :

मॉडल / मॉडल की जानकारी (यदि लागू हो)	**मॉडल का नाम**	**मॉडल संख्या**
आधार मॉडल		
बालक मॉडल		

(ग) कक्ष वातानुलक का प्रकार :
(घ) तकनीकी विनिर्देश :

क्र. सं.	मापे गए मान		रेटेड मूल्य	
	पूर्ण क्षमता (वॉट) पर मानक शीतलन		पूर्ण क्षमता (वॉट) पर मानक शीतलन	
	पूर्ण क्षमता (वॉट) के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन		पूर्ण क्षमता (वॉट) के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन	
	पूर्ण क्षमता के मानक शीतलन पर बिजली की खपत (वॉट में)		पूर्ण क्षमता के मानक कूलिंग पर बिजली की खपत (वॉट में)	
	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर बिजली की खपत (वॉट में)		पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर बिजली की खपत (वॉट में)	
	पूर्ण क्षमता के मानक शीतलन पर आवृत्ति (हट्र्ज में)		पूर्ण क्षमता के मानक शीतलन पर आवृत्ति (हट्र्ज में)	
	पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर आवृत्ति (हट्र्ज में)		पूर्ण क्षमता के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन पर आवृत्ति (हट्र्ज में)	
	किलो वॉट घण्टा में शीतलन मौसमी ऊर्जा की खपत		किलो वॉट घण्टा में शीतलन मौसमी ऊर्जा की खपत	
	किलो वॉट घण्टा में शीतलन मौसमी कुल लोड		किलो वॉट घण्टा में शीतलन मौसमी कुल लोड	
	भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात शीतलन मौसमी कुल भार / शीतलन मौसमी ऊर्जा की खपत		भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात अर्थात शीतलन मौसमी कुल भार/ शीतलन मौसमी ऊर्जा की खपत	

2. लेबल के ब्यौरे :-

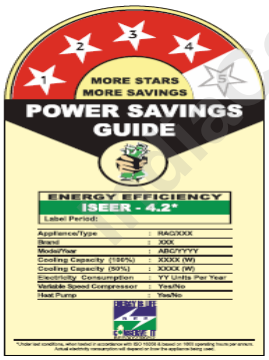
साधित्र और प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	

IndiaCode

मॉडल और विनिर्माण का वर्ष	
स्टार स्तर	
शीतलन क्षमता (शत प्रतिशत)	
शीतलन क्षमता (पचास प्रतिशत)	
प्रति वर्ष यूनिट में बिजली की खपत	
परिवर्तनशील गति संपीडत (हाँ / नहीं)	
ताप पंप (हाँ / नहीं)	
लेबल की अवधि	
विशेष श्रृंखला कोड	

3. लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली डिजाइन, आकार, रंग योजना, सामग्री और सामग्री अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में इन विनियमों में ब्यूरो के प्रतीक चिह्न में लेबल और रंग योजना का उल्लेख किया जाएगा।

4. ब्यूरो द्वारा सम्यक अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है (मॉडलों के कुटुंब के लिए अलग नमूने संलग्न हैं)।



पत्र में उपबंधित विशिष्ट लेबल श्रंखला कोड का उल्लेख कक्ष वातानुलक पर लगाए गए लेबल में किया जाता है।

तारीख.

भवदीय

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 3

[विनियम 7 (2) देखें**]**

अनुज्ञाधारकों के रजिस्टर

क्र.सं .	आवेदन सं और . अनुज्ञा की तारीख.	अनुज्ञाधारकों का नाम और ब्यौरा (संपर्क वयक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन सं., फैक्सं नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के ब्यौरे जिनकी अनुज्ञा प्रदान की गई है	स्टार लेबल या दक्षता स्तर की घोषणा	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की अनुज्ञा संख्या और विशिष्ट लेबल श्रंखला	अवधि जिसमें अनुज्ञा प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति फीस की रकम	प्राप्त की गई लेबल प्रतिभूति फीस रकम (रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरा) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरा) : तारीख :)	(रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरा) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरा) : तारीख :) से प्राप्त आवेदन फीस की राशि के विवरण
(8)	(9)	(10)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	देय फीस की लेबलिंग की रकम	प्राप्त लेबलिंग फीस की रकम के ब्यौरे (रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट (ब्यौरे) / इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) : तारीख:)	टिप्पणियां
(11)	(12)	(13)	(14)

IndiaCode

प्ररूप 4

[विनियम 7 (7) देखें]

अनुज्ञाधारक द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय/अनुज्ञाधारक के शीर्षनामा पर)

तारीख :

सेवा में,

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन, सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

विषय : ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के जरिएसे लागू स्टार स्तर में परिवर्तन के संबंध में लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन - पत्र ।

1. मैं/हम [व्यष्टिक या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में व्यवसाय करने वाला/वाले कक्ष वातानुलक का/के विनिर्माता / आयातक हूं / हैं और एततद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 में ब्यूरो द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट कक्ष वातानुलक पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं / करते हैं, जिसमें से स्टार स्तर में पुनरीक्षण होगा।

2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित अथवा आयातित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातक का नाम और पता) से आयातित किया गया है।

3. नए स्टार स्तर का अनुपालन: मैं / हम ... जैसा कक्ष वातानुलक के लिए अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या..... में विनिर्दिष्ट है। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की छायाप्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।

4. कक्ष वातानुलक के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की प्रति संलग्न है।

5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का ब्यौरा।

मॉडल का नाम -

विवरण	घोषित मान
पूर्ण क्षमता (वॉट) पर मानक शीतलन	--
पूर्ण क्षमता (वॉट) के पचास प्रतिशत पर मानक शीतलन	--
बिजली खपत (यूनिट/ वर्ष)	--
भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात	--

स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार लेबल के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार लेबल के अनुसार)

6. मैं/हम, पुस्तिका आवेदन और ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर से (विधमान स्टार लेबल स्तर) से (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में परिवर्तन के लिए सहमत हैं।

7. मैंने उक्त कक्ष वातानुलक मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकडे और लेबलिंग फीस जमा करा दिए हैं।

8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई जांच की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।

9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन करने और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।

10. मैं/हम यह वचनबंध देता हूं/ देते हैं कि इस आवेदन – पत्र में प्रदान की गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

तारीख :

दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

IndiaCode

प्ररूप 5

[विनियम 11 (3) देखें]

आक्षेप जांच / दूसरी जांच को देखने के लिए अनुज्ञाधारक के लिए सूचना

सेवा में, नई दिल्ली, तारीख.....

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के अनुसरण में विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.के पत्रांक..... के जरिए कक्ष वातानुलक पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 11 के अधीन आपके अधिकृत वितरक/ व्यौहारी/ खुदरा व्यापारी सेरुपए की कीमत की तारीख. की बीजक संख्या के जरिए बीईई स्टार के लेबल वाला कक्ष वातानुलक खरीदकर, ब्यूरो द्वारा उपरोक्त विनियम के विनियम 3 के अधीन लेबल, जो उल्लिखित खरीदे गए कक्ष वातानुलक पर आपके द्वारा चिपकाया गया था, पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए नियुक्त एजेंसी, मैसर्स..... द्वारा तारीख..... को नमूने के तौर पर उठवाया था। मैसर्स से श्रृंखला सं. मैसर्स का विधिवत मुहरबंद नमूना, मैसर्स (वितरक, व्यौहारी, खुदरा व्यापारी का नाम) से, सत्यापन अभिकरण के सम्यक प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर सहित प्राप्त हुआ था।

3. ब्यूरो ने अपनी उपरोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूना मैसर्स....., एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला को एस.ओ. संख्या..... तारीख. के पैरा 4, 5 और 6 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, का.आ. संख्या..... तारीख. के उपाबंध में दिए गए प्ररूप..... के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।

4. उत्पाद और अपनी ओर से जांच परिणामों (यदि लागू हो) के विवरण इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अब, अत: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम 2017, के विनियम 11 के उप विनियमन (1) के उपबंधों के अनुपालन में ब्यूरो द्वारा (तारीख) को (प्रयोगशाला का नाम) में अपनी ओर से जांच / आक्षेप परीक्षण किया गया है जिसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता दी गई है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम 2017, के विनियम 11 के उप विनियम (4) के उपबंधों के अनुपालन में, ब्यूरो द्वारा एतदद्वारा इन्हें सूचना दी जाएगी :-

(i) उपरोक्त तारीख पर निर्दिष्ट आक्षेप जांच / द्वितीय जांच को देखने के लिए एक अधिकारी के नामांकन सहित एक प्राधिकार पत्र जिसमें (मूल रूप में) नामांकित अधिकारी का नाम, पद और हस्ताक्षर होना चाहिए (पत्र पर कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सम्यक हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाए)।

(ii) संलग्नक में उल्लिखित उपाप्त, परिवहन, परीक्षण और अन्य अनुषंगी व्ययों के प्रति लागत इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर जमा करना (व्यय नई दिल्ली में देय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पक्ष में सममूल्य के चेक या खाते में देय मांग पत्र द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक विधि से जमा किए जाएंगे) ।

6. आप ध्यान रखें कि आक्षेप जांच या द्वितीय जांच द्वारा ब्यूरो सत्यापन तब भी जारी रखेगा यदि उपरोक्त उल्लिखित व्यय समय पर नहीं किए जाते हैं या निर्दिष्टानुसार अधिकारियों का नामांकन नहीं किया जाता है और यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम 2017, के विनियम 11 के उप विनियम (5) के निबंधनों में मामले पर आगे कार्रवाई करेगा।

7.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. उत्पाद / अपनी ओर से जांच परिणाम का ब्यौरा
2. उपाबंध 5 (क)
3. व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध 5

(प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें)

सूचना के ब्यौरे

1. आक्षेप जांच / द्वितीय जांच के लिए गए उत्पाद या उपकरण के ब्यौरे

ब्रांड का नाम :
विशिष्ट लेबल श्रखला कोड :
मॉडल का नाम / मॉडल संख्या :
कक्ष वातानुलक का प्रकार : एकल या विखंडित
परिवर्तनशील गति संपीडक : हां / नहीं
विनिर्माण का वर्ष :
किलोवॉट घण्टा में रेटेड शीतलन मौसमी ऊर्जा की खपत
किलोवॉट घण्टा / किलोवॉट घण्टा में भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात :
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर :

2. ब्यूरो में जमा करने की रकम

विवरण	संख्या / व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
मूल्य प्रति नमूना	
कुल खरीद लागत	
कुल जांच फीस	
परिवहन प्रभार (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञाधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	

IndiaCode

3. अपनी ओर से परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) :

ब्रांड	**मॉडल**	**रेटेड शीतलन मौसमी ऊर्जा खपत**	**रेटेड शीतलन मौसमी कुल भार**	**रेटेड भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता अनुपात**	**स्टार रेटिंग (घोषित)**	**स्टार रेटिंग (परीक्षण की जांच)**	**टिप्पणियां**

तारीख.....

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 6

[विनियम 11 (7) देखें]

अनुज्ञाधारक को दूसरे जांच परीक्षण में विफल रहने पर निदेश

सेवा में, नई दिल्ली, तारीख.

.....
.....
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.के पत्रांक..... के द्वारा कक्ष वातानुलक पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2017 के विनियम के अधीन आपके अधिकृत वितरक या व्यौहारी या खुदरा व्यापारी सेरुपए की कीमत की तारीख. की बीजक संख्या के जरिए बीईई स्टार के लेबल वाला कक्ष वातानुलक खरीदा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र सं. तारीख..... द्वारा प्ररूप 5 में आपके पास चुने गए नमूनों के संपूर्ण खरीद और परीक्षण के विवरण भेजे गए थे। आपसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड मेसर्स.....में नमूनों के द्वितीय जांच सत्यापन परीक्षण में भाग लेने और देखने का अनुरोध भी किया गया था।

3. हमारी अधिकृत अभिकरण मेसर्स के जरिए तारीख (दिन / माह / वर्ष) दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने उठाकर हमारी प्राधिकृत अभिकरण मैसर्स..... द्वारा विधिवत मुहरबंद कर एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन अभिकरण के सम्यक प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से अभिप्राय कथित नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।

4. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी सम्यक हस्ताक्षर किए गए हैं। जांच परिणामों से पुष्टि होती है कि ये का.आ. सं. तारीख..... में दिए गए अपेक्षित

IndiaCode

मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित एवं बिक्री देशी डायरेक्ट कूल रेफ्रीजरेटरों पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुमति के निबंधन और शर्तों को पूरा नहीं करते।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के विनियमन 11 के उपविनियम (4) के खण्ड (क) के उपबंधों का पालन करते हुए, ब्यूरो आपको निम्नानुसार निदेश देता है, अर्थात् :--

(i) कक्ष वातानुकूलको के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें अथवा जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करें;

(ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और

(iii) विज्ञापन की सामग्री में प्रदर्शित की गई विशिष्टियों में परिवर्तन करें।

6. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो माह के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो माह की समाप्ति के बाद दस दिन के भीतर अर्थात..... तक प्ररूप VII में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि कथित तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर उनका लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 11 के उप- विनियम (5) की शर्तों के अनुसार ब्यूरो कार्रवाई करेगा।

7. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक पर लेबल प्रदर्शित करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) (5) (6) और (7) की शर्तों के अनुसार, मामले में ब्यूरो और आगे कार्रवाई करेगा।

IndiaCode

सचिव ,
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. विफल मॉडल की जांच रिपोर्ट

प्ररूप **7**

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

[विनियम 11 (8) देखें**]**

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

तारीख.

सचिव
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल,
सेवा भवन, सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066
भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (कक्ष वातानुलक के लेबल पर उनके प्रदर्शन का ब्योरे और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, हमें मेसर्स कक्ष वातानुलक के विनिर्माता की ऊर्जा की खपत मानक के अनुरूप बीईई पत्र सं के लिए तारीख मॉडल संख्या द्वारा स्टार लेवल के कक्ष वातानुलक पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के (कक्ष वातानुलक के लेबल पर उनके प्रदर्शन के ब्यौरे और रीति) विनियम, 2017 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार, हमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बीईई पत्र संख्या तारीख..... द्वारा निर्देश दिया गया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किए गए निर्देश के आलोक में, हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न गतिविधियों को किया गया है।

	कार्रवाई का निर्देश	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ कक्ष वातानुलक के स्तर पर प्रदर्शित सही स्टार स्तर	हां/नहीं/लागू नहीं	स्टार स्तर (तारीख)..... से स्टार से स्टार तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें। और	हां/नहीं/लागू नहीं	बाजार से सभी स्टॉक को ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के साथ वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्यौरे परिवर्तन करें ।	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

IndiaCode

उपरोक्त दी गई घोषणा हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
कंपनी/फर्म आदि का नाम
फर्म/कंपनी की मुहर

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./322/17]

MINISTRY OF POWER

(THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2017

BEE/S&L/AC/37/2017-18.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2017, were published vide notification number No. BEE/S&L/AC/37/2017-18, dated the 8th August, 2017, as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the period of forty-five days from the date on which the notifications containing the draft regulations as published in the official Gazette were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette in which the draft regulations were published made available to the public on the 8th August, 2017;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid and they have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of section 14 read with clause (i) of sub-section (2) of section 58 and clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) "Form" means a form appended to these regulations;

(c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to or appearing upon a room air conditioner;

(d) "label period" means the validity period of the Indian seasonal energy efficiency ratio under the energy consumption standard specified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act and in case the end period of the Indian seasonal energy efficiency ratio is not specified, it shall be deemed to be valid until a new energy efficiency ratio is specified by the Central Government;

(e) "model or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test report is applicable and where each of the models have the same physical characteristics, energy efficiency ratio, energy efficiency level and performance characteristics;

(f) "permitee" means a person to whom permission has been granted under regulation 7 ;

(g) "room air conditioner" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;

(h) "star level or star rating" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the room air conditioner based on the energy consumption standard notified under clause (a) of section 14 to denote the energy efficiency of the air conditioner; and

(i) "seller or trader" in relation to any labelled room air conditioner means, a person who sells or distributes any such room air conditioner and includes the manufacturer, trader, and permittee granted permission to affix label on such room air conditioner.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on the labels. - (1) On every room air conditioner, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

(a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;

(b) the appliance or type of air conditioner;

(c) the name of manufacturer or importer and brand;

(d) the model and year of manufacturing or import;

(e) cooling capacity (hundred per cent.) in Watts;

(f) cooling capacity (fifty per cent.) in Watts;

(g) electricity consumption in units per year;

(h) variable speed compressor;

(i) heat pump;

(j) Indian seasonal energy efficiency ratio;

(k) label period;

(l) star level; and

(m) unique series code.

IndiaCode

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels. - (1) A label containing particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every room air conditioner within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from the commencement of provisions of Table 3.1(e) and Table 3.2(e) notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee, seller or trader shall ensure that-

(a) the room air conditioner put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year or importing year of the room air conditioner shall be in synchronization with such revised energy consumption standards:

Provided that for smooth transition, manufacturer may produce or import the product two month in advance from the date of such commencement, with the revised energy performance standards;

(b) all preparatory steps including approvals, awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers shall be well planned and taken six months in advance of the date of such commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label. - (1) Every manufacturer, seller or trader shall display on every room air conditioner a label at the time of sale and the label shall be either adhere to, or be attached as a swing tag, on it.

(2) For units not on display, the label may be attached to the exterior of the casing of the air-conditioner and the label may be attached to the unit when the unit is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label.- (1) No label shall be affixed on a room air conditioner without the permission of the Bureau.

(2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by demand draft drawn in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi or by any other acceptable electronic mode of payment; and

(b) documents specified in Form I – (B).

7. Grant of permission. - (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

(a) register the brand in Form II-(A) or in electronic form; and

(b) grant permission for affixing label on room air conditioner in Form II-(B) or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.

(3) The permission granted under sub-regulation (1) shall be valid for the duration for which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) An application for renewal of permission may be made by the permittee six months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in the form of demand draft or electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi:

Provided that no application for renewal shall be allowed if it is made one month before its expiry.

(5) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II – (B).

(6) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee may make a fresh application.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the room air conditioner from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix a label afresh, if a new model of the room air conditioner is to be launched synchronizing with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. -Every permittee, seller or trader shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:—

(a) the star level displayed on the label of the room air conditioner shall conform to energy consumption standards for room air conditioner notified under clause (a) section 14 of the Act;

(b) the label shall be affixed only on such model of room air conditioner for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed and affixed on the room air conditioner at the cost of the permittee;

(d) the permittee, seller or trader shall ensure that the star level displayed on the label of room air conditioner shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation;

IndiaCode

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

(g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers and sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;

(h) the permittee, seller or trader shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in Manual of the Bureau on Standards and Labelling.

9. Label Fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees thirty on each label affixed on the room air conditioner.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under sub-regulation (2) of regulation 6 and if the total amount of labeling fee is not recovered within one year of the last date of payment, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of Label Security Fee. - Subject to the proviso to sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to refund of the label security fee on ceasing to manufacture room air conditioner.

11. Verification by the Bureau. - (1) The Bureau may, either *suo motu*, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the room air conditioner conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission. All tests including the power consumption, capacity tests and maximum operating condition tests shall be conducted by the Bureau or through its designated agency in balanced ambient calorimeters for the purpose of verification and challenge testing.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the room air conditioner in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and a notice shall be issued to the permittee in Form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau. If the sample drawn under challenge testing fails, all expenses as specified shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall be forfeited.

(4) Where a sample of room air conditioner used for testing fails the test during *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall afford the permittee another opportunity and conduct a second test with twice the quantity of room air conditioner used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee.

(5) The Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(6) Where, the permittee fails to make such expenses, the Bureau shall -

(a) continue the verification by challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4);

(b) stop further processing of application received under regulation 6;

(c) cancel all the labels granted to the permittee under regulation 7, after six months from the date of issuance of Form V.

(7) Where the second test fails, the Bureau shall -

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State designated agencies, that the permittee within a period of two months shall,-

(i) correct the star level displayed on the label of the room air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;

(c) intimate to the concerned State designated agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(8) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (7) send the compliance report in Form VII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.

(9) If the compliance report referred to in sub-regulation (8) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed to have been not complied with the direction issued and the Bureau shall order to that effect.

IndiaCode

(10) The Bureau shall send the compliance report referred to in sub-regulation (8) and orders passed in sub-regulation (9) to all the State designated agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under the sub-regulation (9).

(11) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (7), the Bureau shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send a report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14, the orders issued by the Bureau under clause (a) for consideration and for taking action by the Central Government under clause (c) of section 14;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;

(d) intimate to the concerned State designated agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of Permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7 if the permittee –

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

SCHEDULE

[See regulation 3 (2)]

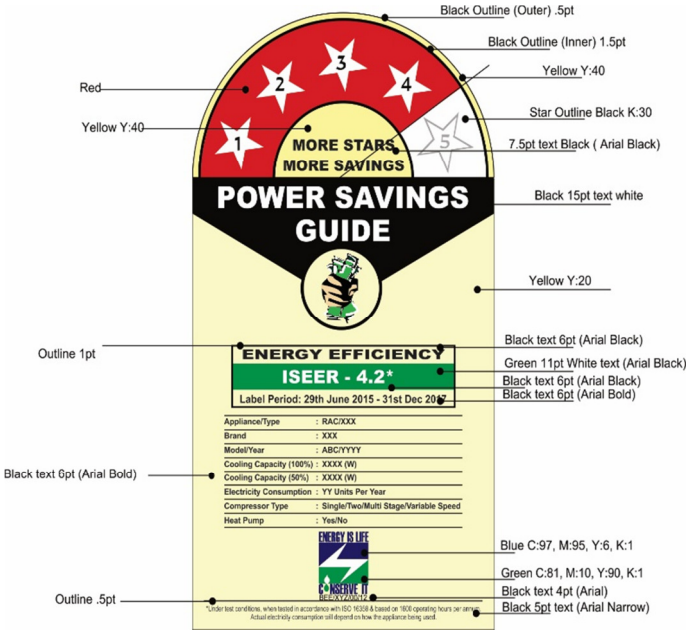
Particulars to be displayed on labels of room air conditioner.

(1.) Label design

(i) Dimension:



(ii) Colour scheme:



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

Blue –

Hue(H)-239^{o} Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

Green –

Hue(H)-150^{o} Saturation(S):10% Brightness(B):67%

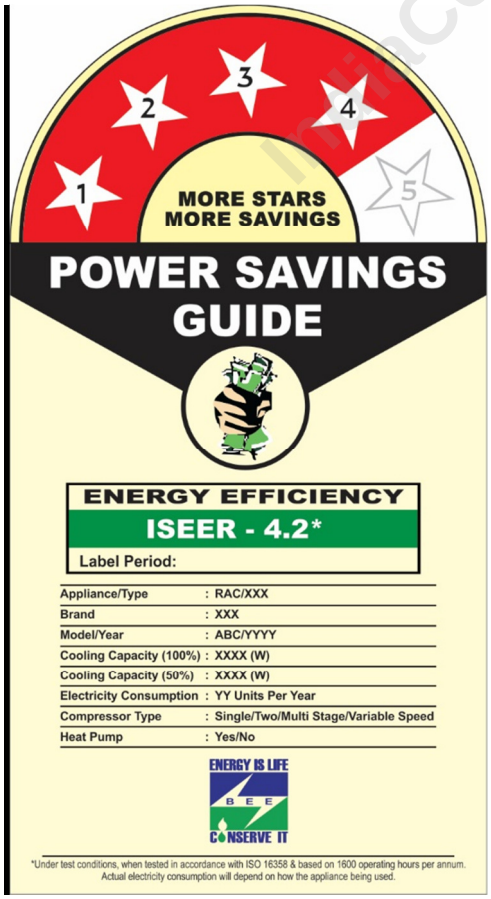
Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for room air conditioner:



(2) Label material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of room air conditioners under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2017

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi – 110 066

India.

1. I/We am/are the manufacturer/manufacturers of room air conditioner carrying out business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on room air conditioners as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Room Air Conditioner) Regulations, 2017.

2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

 (a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

 (b) Contact person: (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

 (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	**Production**	**Sales**	**Maximum retail price of the equipment (Rs.)**
Last year from..... to..... Current year from..... to..... (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be.....has been paid by Demand Draft No. dated...../electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

IndiaCode

Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration: (a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises (b) Trade mark certificate (c) Small scale industries Certificate, if applicable (d) Quality Management System Certificate	Yes/No

(e) Authorised signatory letter (f) Bureau of Indian standards license, if applicable (g) Demand Draft (security deposit)/ payment receipt in case payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

IndiaCode

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM I – (B)

[See regulation 6 (3)]

Application for permission to affix label on room air conditioners under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2017

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi - 110066

India.

1. I/We am/are the registered manufacturer/manufacturers of room air conditioners under the brand name ……(Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is ……

2. The above equipment is manufactured or imported by (Name of the company) in the brand name of…….. and is manufactured at (Name and address of the factory).

3. The details of the information in respect of the equipment, certification of test products, labels and payment is given in Annexure and relevant photocopies are enclosed herewith.

4. Conformance to standards : I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards in respect of quality system/ other standards in accordance with Indian standards/others (name and number of the standard) as specified in the notification on(title of the notification) for the (name of the equipment).

 I/We have made arrangements for testing at our in-house laboratory _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian standards/International organisation for standardization/International electrotechnical commission standards as specified in Statutory order……

 Laboratory details:

 (a) Accreditation Board:

 (b) Accreditation status:

 (i) For laboratory: (yes/no)

 (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)

 (c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. (a) An application fee of two thousand rupees has been paid by Demand Draft. No. dated...../electronic mode.

6. I/We agree to pay the labelling fee of thirty rupees per label as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of..... (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

IndiaCode

Annexure

[See para 3 of Form I – (B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and type
Brand name
Model name and number
Serial number (a) Indoor unit: (b) Outdoor unit:
Standard Cooling at full capacity (hundred percent) in Watts
Standard Cooling at fifty percent of full capacity in Watts
Variable Speed Compressor (yes/no)
Heat Pump (yes/no):
Voltage Range (V):
Nominal current at rated conditions (A):
BIS certificate details (if any) (Attach copy of the license / certificate)
Quality system certificate details (Attach copy of the license / certificate)
Indian seasonal energy efficiency ratio (kWh/kWh):
Star rating

IndiaCode

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)

(a) Tested values:

S.No.	Measured values		Rated values	
1.	Standard cooling at full capacity (W)		Standard cooling at full capacity (W)	
2.	Standard cooling at fifty per cent of full capacity (W)		Standard cooling at fifty per cent of full capacity (W)	
3.	Power consumption (in W) at standard cooling at full capacity		Power consumption (in W) at standard cooling at full capacity	
4.	Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent of full capacity		Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent of full capacity	
5.	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity		Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity	
6.	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent of full capacity		Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent of full capacity	

7.	Cooling seasonal energy consumption in kWh		Cooling seasonal energy consumption in kWh	
8.	Cooling seasonal total load in kWh		Cooling seasonal total load in kWh	
9.	Indian seasonal energy efficiency ratio, that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption		Indian seasonal energy efficiency ratio that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption	

(b) Frequency settings: (Complete the details as applicable)

	Standard cooling at full capacity (Rated)	Standard cooling at fifty per cent. of full capacity (Rated)
Frequency setting (in Hz)		

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For laboratory (ii) For relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

IndiaCode

3. Labelling information

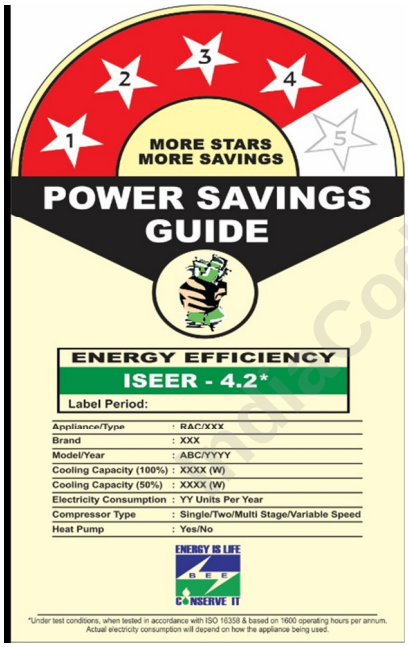
Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of energy efficiency a) for the first year - b) for the second year - c) for the third year -	
Product serial No.	**From** _____ **To** _____

4. Model Details:

Model or family of models (if applicable)	**Model name/model number**
Base model	
Child models	

5. Specimen of the label to be affixed on the room air conditioner is shown below:

(Annex separate specimen for family of models (if applicable))



Date

Signature ……
Name ……..
Designation …….
For and on behalf of……
…….
(Name of the firm)
Seal of the Firm
……

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of room air conditioners under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioner) Regulations, 2017

New Delhi, dated.....

To

.....

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2017, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

 (a) the star level displayed on the label of the room air conditioner shall conform to energy consumption standards for room air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

 (b) the stamping of the label only on such model of room air conditioners for which permission has been granted;

 (c) the printing and affixture of the label on the room air conditioners at the cost of the permittee;

 (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the room air conditioners shall be maintained at all time;

 (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;

 (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;

 (g) the permittee making available such other details of room air conditioner as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the room air conditioner from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.

5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

IndiaCode

Annexure
[See para 1 of Form II-(A)]
Details of Approvals

1. Details of the company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:
3. Unique series code:
4. Other Details (if applicable):

Date…….

Yours faithfully

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

IndiaCode

FORM II – (B)

[See regulation 7 (1) (b)]

Permission/renewal of permission to affix label on room air conditioners under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioner) Regulations, 2017

New Delhi, dated.....

To

.....

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room air conditioners) Regulations, 2017, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
2. This permission is subject to the condition that —
 (a) the star level displayed on the label of the room air conditioner shall conform to energy consumption standard for room air conditioner notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 (b) the label shall be stamped only on such model of room air conditioner for which permission has been granted;
 (c) the label shall be printed or affixed on the room air conditioner at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the room air conditioner shall be maintained at all times;

(e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees per label;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau, a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;

(g) the same details shall be furnished to the Bureau through automated system;

(h) the permittee shall make available such other details of room air conditioner as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid with effect from …….to……. and may be renewed. The permittee shall not withdraw the room air conditioner from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

IndiaCode

Annexure

[See para 1 of Form II-(B)]

Details of Approval

1. Details of the equipment

(a) Brand:

(b) Model details:

Model or family of models (if applicable)	**Model name**	**Model number**
Base model		
Child model		

(c) Type of room air conditioner:

(d) Technical specification:

Sl. No.	Measured values		Rated values	
	Standard cooling at full capacity (W)		Standard Cooling at full capacity (W)	
	Standard cooling at fifty per cent. of full capacity (W)		Standard cooling at fifty per cent. of full capacity (W)	
	Power consumption (in W) at Standard cooling at full capacity		Power consumption (in W) at standard cooling at full capacity	
	Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent. of full capacity		Power consumption (in W) at standard cooling at fifty per cent. of full capacity	
	Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity		Frequency (in Hz) at standard cooling at full capacity	
	Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent. of full capacity		Frequency setting (in Hz) at standard cooling at fifty per cent. of full capacity	
	Cooling seasonal energy consumption in kWh		Cooling seasonal energy consumption in kWh	
	Cooling seasonal total load in kWh		Cooling seasonal total load in kWh	
	Indian seasonal energy efficiency ratio that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption		Indian seasonal energy efficiency ratio that is, Cooling seasonal total load / Cooling seasonal energy consumption	

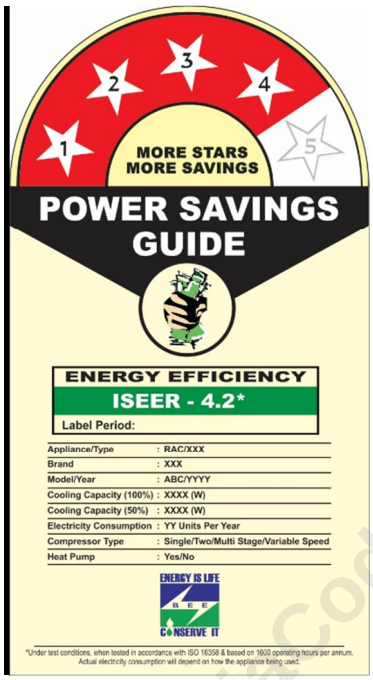
IndiaCode

2. Details of label:-

Appliance and type	
Name of the manufacturer/importer/brand	
Model and year of manufacturing	
Star level	
Cooling capacity (hundred per cent.)	
Cooling capacity (fifty per cent.)	
Electricity consumption in units per year	
Variable speed compressor (yes/no)	
Heat pump (yes/no)	
Label period	
Unique series code	

3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule to these regulations.

4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the room air conditioner is shown below (Separate specimens for family of models is annexed)



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the room air conditioner.

Date

Yours faithfully

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

FORM III

[See regulation 7(2)]

Register of Permittees

Sl. No.	Application number and Date of permission.	Name and details of the permittee (Contact person, address, Pin code, State, Phone number, Fax number, E-mail, Website).	Details of equipment for which the permission has been granted.	Star level or efficiency level declared.	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series.	Period for which the permission has been granted.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security fee.	Label security fee received by (Crossed Demand Draft (Details)/electronic transaction (Details): Date:).	Application fees details of amount received (Crossed Demand Draft (Details)/Electronic transaction (Details) : Date :).
(8)	(9)	(10)

Number of labels affixed at the end of each financial year.	Amount of labeling fee due.	Labelling fee details of amount received (Crossed Demand Draft (Details)/ Electronic transaction (Details): Date:).	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)

IndiaCode

Form IV

[See regulation 7 (7)]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with the respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / permittee)

Date:

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Subject: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2017 on revision of star level effective from …….

1. I/ We are the manufacturers / importers of room air conditioner carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on room air conditioner as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of

their Display on Label of Room Air Conditioner) Regulations, 2017 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER) ;

3. Conformance to new star level: I/We conform to the notification S.O. numberdated.....for room air conditioner. A copy of the approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency label (as per revision of star level change) in respect of the room air conditioner is enclosed.

5. Details of the equipment / model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	**Declared values**	
Standard cooling at full capacity (Watts)	--	
Standard cooling at fifty per cent. of full capacity (Watts)	--	
Electricity consumption (units/year)	--	
Indian seasonal energy efficiency ratio	--	
Star rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

IndiaCode

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application and in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said room air conditioner model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of …….. (Year)
Signature ……
Name ……..
Designation …….
For and on behalf of……
…….
(Name of the firm)
Seal of the Firm

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To New Delhi, dated the…..

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2017 you were permitted to affix label on the room air conditioner vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations 2017, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled room air conditioner from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated…….. for a price of Rs..... and lifted as a sample dated.....by for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased room air conditioner. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number-------- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4, 5 and 6 of the notification number S.O.dated..... for giving test report in accordance with the Form..... given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations 2017, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on ……..(date) at ……(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations 2017, the Bureau hereby intimates to -

(i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through an account payee Demand Draft or at par cheque in favour of Bureau of Energy Efficiency payable to New Delhi or in electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations 2017.

7. Signed, sealed and dated this..... day of …….month..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
2. Annexure V(a)
3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Type of room air conditioner: Unitary or split
Variable speed compressor: Yes/no
Year of manufacturing:
Rated cooling seasonal energy consumption in kWh :
Rated Indian seasonal energy efficiency ratio in kWh/kWh :
Star rating or star level:

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

IndiaCode

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Brand	**Model**	**Rated cooling seasonal energy consumption**	**Rated Cooling seasonal total load**	**Rated Indian seasonal energy efficiency ratio**	**Star rating (Declared)**	**Star rating (Check tested)**	**Remarks**

Date……

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See regulation 11 (7)]

Direction to permittee on failure of second check testing

To New Delhi, dated the…..

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners**) Regulations, 2017 you were permitted to affix label on the room air conditioners vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation … of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations 2017, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled room air conditioners from your authorised distributor or dealer or retailer vide invoice numberdated ….. The complete procurement and test details of the samples picked were sent to you in Form V vide Bureau of Energy Efficiency letter no….. dated…. You were also requested to attend and witness the second check verification test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

3. The sample for second check verification test were picked up on dated (DD/MM/YYYY) the..... through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

4. The result of the test of second check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test reports are also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The result of the test confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in number S.O. …… dated….and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the room air conditioner manufactured and sold in the market.

5. Pursuant to the provisions of clause (a) of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of room air conditioner) Regulations, 2017, you are hereby directed to comply with the following, namely:-

(i) correct the star level displayed on the label of the room air conditioner or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material.

6. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VII within ten days after the expiry of two months that is, byIn case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of room air conditioner) Regulations, 2017.

7. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulations (4), (5), (6) and (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of room air conditioner) Regulations, 2017.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model

Form VII

Action Taken Report

[See regulation 11 (8)]

(To be furnished on letter head of the organisation)

To
The Secretary,
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Dated…..

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2017, we M/s.....the manufacturer of room air conditioners were permitted to affix label on the room air conditioner conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Room Air Conditioners) Regulations, 2017, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by the Bureau , we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

IndiaCode

	Action directed	Status	Action taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the room air conditioner to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

Name of the Company/Firm etc

Seal of the Firm/Company.

ABHAY BAKRE, Director General
[ADVT-III/4/Exty./322/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.